

(2) भूमि के मूल्य की दर के बारे में कई आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं। अंतिम आदेश राज्य सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं। अंतिम आदेश संख्या एफ० 2(96)पुनर्वास/68, दिनांक 24-6-70 द्वारा मूल्य 500/-रु० के बजाय 300/- रु० प्रति बीघा निर्धारित किया जाकर निर्देश दिये गये हैं कि इन विस्थापितों को स्थायी भूमि का आवंटन सातों प्रभाव से न कर अब से किया जाना है। आगे की किरतों व चूक की सूरत में उनसे ब्याज नियमानुसार लिया जायेगा। ब्याज की दर इस परिशिष्ट के अनुच्छेद संख्या 3(3)(क) में वर्णित है। राज्य सरकार का उक्त आदेश दिनांक 24-6-70 नीचे उद्धृत है:—

प्रतिलिपि आदेश संख्या एफ० 2(96)पुनर्वास/68, दिनांक 24-6-70 ओर से महायक सचिव (पुनर्वास), राजस्थान, जयपुर वास्ते जिलाधीश, पुनर्वास, गंगानगर।

विषय:—काश्मीरी विस्थापितों के कृषि भूमि की वसूली के बारे में।

निर्देशानुसार उपरोक्त विषय में इस विभाग के पत्र संख्या संख्या दिनांक 27-11-68 के क्रम में लेख है कि काश्मीरी विस्थापितों से कृषि भूमि की कीमत 500/- रुपया प्रति बीघा के बजाय 300/- रु० प्रति बीघा के हिसाब से वसूल की जाये।

इसके अतिरिक्त मुझे यह भी लिखने का आदेश हुआ है कि इन काश्मीरी विस्थापितों को स्थायी भूमि का आवंटन पिछली तारीख से न कर अब किया जाना है। आगे की किरतों व चूक की सूरत में ब्याज नियमानुसार वसूल किया जावे।

यह राशि शीर्षक "LII विविध (इ) विविध, II विस्थापित व्यक्तियों के कारण प्राप्तियां (II) अन्य प्राप्तियों" में जमा कराई जाय तथा इस विभाग को वसूली की प्रगति का प्रति माह मानचित्र भिजवाया जाय।

5. इस परियोजना के अन्तर्गत भूतपूर्व जागीरदारों को भूमि आवंटन संबंधी प्रावधानों का सारांश इस परिशिष्ट के अनुच्छेद सं० छ का 16 में दिया गया है।

ख—भाखड़ा नहर परियोजना

6. (1) भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि के आवंटन/विक्रम राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम, 1955 के अन्तर्गत 2 प्रकार से करने का प्रावधान है। (अ) भूमि का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर स्थायी आवंटन, (ख) पुरखता निलामी द्वारा बेचान। इन नियमों के नियम 17 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि के लिये मूल्य निर्धारित करने की शक्तियां राज्य सरकार में निहित हैं। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या एफ० 6(27) राज०वी०/55, दिनांक 16-4-56 से भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया:—

किस्म (प्रकार)	भूमि वर्ष	मूल्य	
		प्रति बीघा	प्रति मुर
1	2	3	4
1. कमाण्ड भूमि		रु०	रु०
(1) नाली क्षेत्र			
(क) प्रथम किस्म	राजस्व तहसील हनुमानगढ़ का वह क्षेत्र जो कमाण्ड है और पुरानी उत्तरी व दक्षिणी घाघर नदी से सिंचित होता है।	400	10,000

1	2	3	4
		₹०	₹०
(ख) दूसरी किस्म	अन्य समस्त नाली क्षेत्र	300	7,500
(2) लूम और लाइट लूम		280	7,000
(3) सेन्डी लूम और सेन्डी		200	5,000
2. अनकमान्ड क्षेत्र		50	1,250

(2) उपरोक्त मूल्य पर बेची गई राजकीय भूमि पर कोई बैटरमेंट शुल्क नहीं लिया जावेगा।

(3) जहां एक ही भूमि के लिये एक ही वर्ग के कई खरीददार हैं तो भूमि उन्हीं खरीददारों में से उसको बेची जावेगी जिसकी नीलामी में सबसे ऊंची बोली रहेगी। परन्तु नीलामी राशि उपरोक्त निर्धारित मूल्य से अधिक होगी।

(4) नीलामी की समस्त राशि उसी समय तुरन्त भुगतान करनी होगी ज्योंही बोली देने वाले के नाम से नीलाम स्वीकृत किया जाता है।

(5) कोई व्यक्ति जब तक 5/- प्रति बीघा के हिसाब से अग्रिम राशि के रूप में (Earnest Money) जमा नहीं करा देता, बोली नहीं दे सकेगा।

7. खालसा ग्रामों में संवत् 1985 से पूर्व के आरजी काश्त पट्टाधारकों व पुनर्ग्रहीत जागीर ग्रामों (Resumed Jagir village) में सन् 1981 से पूर्व गैर दखलकारी हैसियत से पट्टाधारकों जिनका धारित भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है, द्वारा सुधार कर (Betterment Levy) देय होगा और प्रथम 25 बीघा भूमि का कोई मूल्य देय नहीं होगा। 25 बीघा से अधिक भूमि आवंटन की दशा में उन से उतनी भूमि का जो 25 बीघा से अधिक है उपरोक्त दर से मूल्य लिया जावेगा।

8. अनकमान्ड मानकर बेची गई भूमि बाद में कमान्ड हो जाती है तो उस पर सुधार कर (Betterment Levy) वसूल होगा। कमान्ड मानकर बेची गई भूमि यदि पूरा मूल्य भुगतान होने से पहले ही सिवार्ड विभाग द्वारा अनकमान्ड घोषित कर दी जाती है तो जिस कदर मूल्य कमान्ड भूमि के तौर पर भुगतान किया गया है उसे अनकमान्ड भूमि के मूल्य की किश्तों में जमा किया जावेगा और उसके उपरान्त भी यदि अधिक भुगतान रह जाता है तो उसकी वापसी अलाटी की जावेगी।

9. उपरोक्त मूल्य (प्रति मुरब्बा) व प्रति बीघा से भुगतान हेतु निम्न प्रकार 15 वार्षिक किश्तें निर्धारित की गई हैं :—

वर्ष	नाली भूमि		अन्य नाली भूमि		लूम व लाइट लूम		सेन्डी लूम व सेन्डी		अनकमान्ड भूमि	
	(पुरानी उत्तरी व दक्षिणी घग्घर नहरों द्वारा सिंचित नहरी कमान्ड भूमि) प्रति मुरब्बा	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा
प्रथम	500.00	20.00	375.00	15.00	312.50	12.50	250.00	10.00	93.75	3.75
द्वितीय	500.00	20.00	375.00	15.00	312.50	12.50	250.00	10.00	93.75	3.75
तीसरा	500.00	20.00	375.00	15.00	312.50	12.50	250.00	10.00	93.75	3.75
चौथा	500.00	20.00	375.00	15.00	312.50	12.50	250.00	10.00	93.75	3.75
पांचवा	500.00	20.00	375.00	15.00	312.50	12.50	250.00	10.00	93.75	3.75
छटा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
सातवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
आठवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
नवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
दसवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
ग्यारहवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
बारहवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
तेरहवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
चौदहवा	750.00	30.00	562.50	22.50	562.50	22.50	375.00	15.00	93.75	3.75
पंद्रहवा	750.00	30.00	562.50	22.50	375.00	15.00	375.00	15.00	31.25	1.25
योग	10000.00	400.00	7500.00	300.00	7000.00	230.00	5000.00	200.00	1250.00	50.00

10. नोटिफिकेशन सं० एफ० 22(30) 17राज/उप/65, दिनांक 29-7-67 से पूर्व के नोटिफिकेशन सं० एफ 6(27) राज/व/55, दिनांक 16-4-56 को संशोधन करते हुये राज्य सरकार द्वारा भूमि का मूल्य व किशतों को पुनः निम्न प्रकार निर्धारित किया गया।

(1) मूल्य:—

<u>किस्म भूमि</u>	<u>मूल्य प्रति बीघा रुपयों में</u>
नाली I	800.00
नाली II	650.00
नाली ला ट लूम	600.00
सेन्डी लूम	500.00
ग्रनकमान्ड	150.00

जो भूमि फल व सब्जी के बागों के लिये सुरक्षित है उसके लिये उपरोक्त निर्धारित मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक और जो भूमि संबंधित मंडी के 2 मील दायरे में स्थित है उसका उपरोक्त निर्धारित मूल्य के 25 प्रतिशत अधिक वसूल होगा।

(2) भूमि का आवंटन मूल्य तथा आरक्षित मूल्य एक ही होगा।

(3) उपरोक्त नोटिफिकेशन के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरान्त तारीख 21-9-67 से प्रति मुरब्बा (25 बीघा) भूमि के मूल्य के मुबतान हेतु निम्न प्रकार 15 वार्षिक किरतें निश्चित की गई हैं:—

वर्ष	नाली I		नाली II		लाईट लूम		सेन्डो लूम		अनकमान्ड	
	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा	प्रति मु०	प्रति बीघा
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
प्रथम	1000	40	812.50	32.50	750	30	625	25	250	10
द्वितीय	1000	40	812.50	32.50	750	30	625	25	250	10
तृतीय	1000	40	812.50	32.50	750	30	625	25	250	10
चौथा	1000	40	812.50	32.50	750	30	625	25	250	10
पांचवां	1000	40	812.50	32.50	750	30	625	25	250	10
छटा	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
सातवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
आठवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
नवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
दसवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
ग्यारहवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
बारहवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
तेरहवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
चौदहवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
पंद्रहवां	1500	60	1218.75	48.75	1125	45	937.50	37.50	250	10
	20000	800	16750.00	650.00	15000	600	12500.00	500.00	3750	150

258

(4) अलाटी को समस्त वार्षिक किश्त नजदीकी उप-कोष में 15 जुलाई को या उसके पूर्व जमा करानी होगी। यदि कोई किश्त या किश्तें उस तारीख में जमा नहीं कराई जाती और बकाया में पड़ गई हो तो उस पर या उन पर 6 प्रतिशत के हिसाब से सूद लिया जावेगा। सूद की दर 6 प्रतिशत की बजाय 9 प्रतिशत कर दी गई है। अलाटी को यह हक होगा कि वह वार्षिक किश्त का भुगतान दो समान किश्तों में खरीफ व रबी फसलों पर 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को या पूर्व में कर दे।

(5) किसी अलाटी द्वारा अग्रिम भुगतान करने पर निम्नलिखित दरों से छूट दी जावेगी:—

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (क) समस्त मूल्य या 8 वर्ष या उससे अधिक वर्षों की किश्तों का किसी समय तक साथ भुगतान करने पर | छूट की दर
6 प्रतिशत |
| (ख) 8 वर्षों से कम परन्तु दो या उससे अधिक वर्षों की किश्तों का किसी समय एक साथ भुगतान करने पर | 3½ प्रतिशत |
| (ग) एक वार्षिक किश्त 15 जनवरी को या उसके पूर्व भुगतान करने पर | 2½ प्रतिशत |

(6) ऐसे व्यक्तियों जिनके पास पहले से राजकीय भूमि आरजी काश्त पट्टे पर धारित है अथवा जिन व्यक्तियों की राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (भाखरा परियोजना क्षेत्र में खुदकाश्त भूमि) नियम, 1955 के अन्तर्गत भूमि का आवंटन हुआ हो, को छोड़कर समस्त आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा उन द्वारा प्रथम एक वर्ष की किश्त के बराबर राशि बतौर अग्रिम राशि जमा कराने से पूर्व नहीं दिया जावेगा।

11. नीलामी द्वारा विक्रय:—भाखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि के नीलामी द्वारा विक्रय करने की शर्तें राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना) राजकीय भूमि आवंटन नियम, 1955 के नियम 22 में निर्धारित है। भूमि के मूल्य सम्बन्धित नियम 22 (एच) की शर्तें निम्न प्रकार से हैं:—

(1) जिस व्यक्ति की बोली स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करनी हो तो नीलामी (बोली) की समाप्ति पर तुरन्त मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करानी होगी और शेष मूल्य नजदी में या किसी (अनुसूचित) बैंक जिसकी शाखा राजस्थान में हो पर डिमाण्ड ड्राफ्ट या चैक जारी कर राज्य सरकार की नीलामी की स्वीकृति की सूचना मिलने के एक मास के अन्दर भुगतान करनी होगी।

(2) नोटिफिकेशन सं० एफ० 22 (26) राज०/उप०/65, दिनांक 23-9-66 द्वारा संशोधित शर्तें:—मूल्य की 25 प्रतिशत के बराबर राशि नीलामी (बोली) समाप्ति के दिन नकद जमा करानी होगी। मूल्य का 15 प्रतिशत उस तारीख से एक मास के अन्दर तथा शेष 60 प्रतिशत दो समान वार्षिक किश्तों में अदा करनी होगी यानी उस तारीख (नीलामी समाप्ति की तिथि) के एक वर्ष बाद 30 प्रतिशत व शेष 30 प्रतिशत दूसरे वर्ष के अंत पर देय होगी। किश्तों की राशि के भुगतान पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से सूद मूल्य की किश्तों के साथ वसूल होगा। किश्तों में मूल्य, सूद के साथ भुगतान में रियायतें दिनांक 21-10-61 के पश्चात् समस्त नीलामी द्वारा विक्रयों पर भी दी जा रवेगी।

(3) किसी खरीददार द्वारा नीलामी की किसी भी शर्त (जो नियम 22 में उल्लेखित है) की पूर्ति न करने पर या न मानने पर उस द्वारा जमा कराई गई धनराशि (Deposit) राज्य सरकार के हक में जब्त करली जावेगी। और राज्य सरकार द्वारा उस भूमि को दुबारा पब्लिक आश्चयन द्वारा बेचा जायेगा और इस प्रकार दुबारा बेचान से मूल्य में आने वाली किसी भी राशि बोली खरीददार से वसूल की जावेगी।

स्पष्टीकरण:—

संशोधित शर्त के अन्तर्गत सूद 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से नीलामी की तिथि से शेष रहने वाली राशि पर वसूल किया जावेगा और ब्याज की रकम किश्त की रकम के साथ ली जावेगी।

ग—राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र

12. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि के आवंटन हेतु निम्न दो प्रकार के नियम बनाये गये हैं। आवंटन की शर्तों भूमि का मूल्य एवं मूल्य के संदाय का तरीका सम्बन्धित नियमों का नीचे उल्लेख किया जाता है:—

(अ) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना, 1955 से पूर्व के अस्थायी आसामियों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तों, 1971.

नियम 8. आवंटन के निबन्ध एवं शर्तों:—(1) राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तों, 1955 जब तक इन शर्तों के अधीन अन्यथा उपबन्धित न हों, यथोचित परिवर्तन के साथ समस्त आवंटन पर लागू होगी।

(2) इन शर्तों के अधीन किये गये भूमि के समस्त आवंटन राजस्थान सरकार अनुदान अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम 20, सन् 1961) से अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन होंगे।

(3) इन शर्तों के अधीन किये गये भूमि के समस्त आवंटन स्थायी आधार पर होंगे। आवंटित शर्त संख्या 9 में यथा उल्लेखित भूमि की पूर्व कीमत का संदाय करने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पात्र होंगे। आवंटन प्राधिकारी द्वारा ऐसे खातेदारी अधिकार प्रदान करने सम्बन्धित एक सनद जारी की जायेगी।

नियम 9. वसूल की जाने वाली कीमत :—(1) इन शर्तों के अधीन आवंटित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमियों के लिये वसूल की जाने वाली कीमत निम्न प्रकार होगी :—

क्र०सं०	सिंचित/असिंचित	मृदा वर्ग	प्रति बीघा
1.	सिंचित भूमि	नाली	800/- रु०
2.	सिंचित भूमि	हल्की समृद्धा	675/- रु०
3.	सिंचित भूमि	रेतीली समृद्धा	500/- रु०
4.	असिंचित भूमि	समस्त किस्में	150/- रु०

परन्तु शर्त 3 (2) में यथा उल्लेखित अस्थायी आसामी से सरकारी भूमि के 25 बीघा (6:32 हैक्टेयर) तक के आवंटन के लिये तथा शर्त 3 (3) में यथा उल्लेखित अस्थायी आसामी से अस्थायी कृषि भूमि जिसमें वह 15-10-1955 के पहले से ही स्वयं कृषि करता है, के आवंटन के लिये कोई कीमत प्रभारित नहीं होगी।

(2) कोई कीमत प्रभारित किए बिना आवंटित भूमियों के लिये राज्य सरकार द्वारा समय पर निहित दरों पर सुधार शुल्क प्रभारित किया जायेगा। अन्य भूमियों के सम्बन्ध में कोई सुधार शुल्क प्रभारित नहीं होगा।

(3) यदि, असिंचित भूमि के रूप में आवंटित भूमि, बाद में किसी समय में सिंचित भूमि हो जाती है तो संदेय कीमत वह होगी जो सिंचित भूमि के लिये निहित है और आवंटित उक्त दोनों भूमियों की कीमत के अन्तर का संदाय करने का भागी होगा। यदि सिंचित भूमि के रूप में आवंटित भूमि, उसकी कीमत का पूर्ण रूप से संदाय होने के पूर्व ही सिंचाई विभाग द्वारा असिंचित भूमि के रूप में

घोषित कर दी जाती है तो सिंचित भूमि के रूप में उसकी कीमत के संदाय के प्रति दी गई रकम असिंचित भूमि के रूप में उसके लिये संदेय कीमत तथा किश्तों के प्रति समायोजित की जायेगी।

नियम 10. कीमत के संदाय का तरीका:—आवंटित भूमि की कीमत का आवंटित द्वारा सोलह अर्द्ध वार्षिक किश्तों में संदाय किया जायेगा। ऐसी किश्तों की पहली किश्त आवंटन की तारीख के तीस दिन के भीतर संदेय होगी और उसके पश्चात् शेष 15 किश्तें आगामी प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को संदेय होगी। किश्तें जब और जैसे देय हों आवंटित द्वारा निकटतम उप-कोषागार में उनका संदाय किया जायेगा। किसी भी किस्म के संदाय में व्यक्तिगत होने पर, उसके देय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 9 प्रतिशत की दर से व्याज प्रभारित होगा।

परन्तु यदि आवंटित आवंटन की तारीख से तीस दिन के भीतर कीमत का एक मुश्त राशि में संदाय कर देता है तो कीमत की 25 प्रतिशत रिबेट दी जायेगी इसी प्रकार, यदि ऐसे आवंटित ने कुछ किश्तों का संदाय कर दिया है और बकाया किश्तों की रकम का संदाय, उसके देय होने से पूर्व और किसी भी स्थिति में 31 मार्च, 1972 के पहले, कर देता है तो इस प्रकार संदत्त किश्तों की रकम की 25 प्रतिशत रिबेट उसे दी जायेगी।

परन्तु यह और कि किसी भी किश्त के देय होने की तारीख से बारह महीने से अधिक की कालावधि तक कोई किश्त असंदत्त रह जाती है तो आवंटन रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा और तत्पश्चात् भूमि किसी प्रतिकर के संदाय के बिना राज्य सरकार को प्रतिवर्तित (Revert) हो जायेगी।

(ब) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 1955 से पश्चात् के अस्थाई काश्तकारान और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1971।

नियम 15. मूल्य की दर और उसके संदाय का तरीका:—(1) इन नियमों के अधीन आवंटित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की (कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई) सरकारी भूमियों के लिये वसूल की जाने वाली कीमत निम्न प्रकार होगी:—

क्र० सं०	भूदा वर्ग	कीमत प्रति बीघा (0.16 हैक्टेयर)	कीमत प्रति मुरबा 25 बीघा का (6.32 हैक्टेयर)
1.	माली	800/-	20,000/-
2.	लाइट लूम	675/-	16,875/-
3.	सेन्डी लूम	500/-	12,500/-
4.	अनकमाण्ड	150/-	3,750/-

किन्तु जोड़पायतन भूमि का आवंटन उक्त निर्धारित दरों से दुगनी दरों पर किया जायेगा।

(2) उप-नियम (1) में बताई गई कीमत पर आवंटित भूमि पर कोई सुधार कर नहीं लिया जायेगा।

(3) यदि असिंचित (अनकमान्ड) भूमि के रूप में आवंटित भूमि बाद में किसी समय में सिंचित भूमि हो जाती है तो ऐसी भूमि के प्रथम 25 बीघा के लिए आवंटित सिंचित भूमि का ऊपर बताये गये अनुसार निहित मूल्य देगा परन्तु उस द्वारा अनकमान्ड भूमि के हिसाब से संदाय किया गया मूल्य बाद दिया जावेगा और उसके बाद यदि कोई भूमि शेष रहती है तो उसका मूल्य बाजार भाव से देगा परन्तु उसके प्रति जितना मूल्य संदाय किया जा चुका है वह बाद दिया जावेगा ।

(4) यदि सिंचित भूमि के रूप में आवंटित भूमि उसको कीमत का पूर्व रूप से संदाय होने के पूर्व ही सक्षम अधिकारी द्वारा असिंचित भूमि के रूप में घोषित कर दी जाती है तो सिंचित भूमि के रूप में उसकी कीमत के संदाय के प्रति दी गई रकम असिंचित भूमि के रूप में उसके लिये संदाय कीमत तथा किस्तों के प्रति समायोजित की जावेगी और यदि पूर्व में उससे अधिक कोई राशि संदाय हो चुकी है तो वह आवंटित को लौटाई जायेगी ।

(5) 1955 के पश्चात् के अस्थाई काश्तकार जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का नहीं हों, के अतिरिक्त आवंटित सरकारी भूमि की कीमत का निम्न प्रकार वार्षिक किस्तों में संदाय करना होगा :—

प्रथम वर्ष :—	कोई किस्त नहीं ली जावेगी ।
दूसरा वर्ष :—	यदि ऐसी भूमि के लिये सिंचाई हेतु पानी छोड़ा गया हो, कीमत का 2½ प्रतिशत ।
तीसरा वर्ष :—	कीमत का 4 प्रतिशत ।
चौथा वर्ष :—	(क) उस भूमि का सिंचाई सिस्टम बारहमासी होने तक मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक । (ख) उस भूमि का सिंचाई सिस्टम बारहमासी होने के बाद और जब तक पूरी कीमत संदाय नहीं कराई जाती कीमत का 8 प्रतिशत वार्षिक ।

स्पष्टीकरण:—यदि ऐसी भूमि के लिये दूसरे वर्ष में सिंचाई हेतु पानी नहीं छोड़ा जाता तो दूसरे वर्ष में कोई किस्त वसूल नहीं होगी वार्षिक किस्त यथावत आगे से लाई जावेगी ।

(6) 1955 के पश्चात् का अस्थाई काश्तकार जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का नहीं है आवंटित भूमि की कीमत निम्न प्रकार समान किस्तों में संदाय करेगा :—

प्रथम वर्ष :—	3 किस्तें
दूसरा वर्ष :—	3 किस्तें
अगले वर्षों में :—	9 अर्द्ध वार्षिक किस्तें

(7) उप-नियम (5) में निर्धारित समस्त वार्षिक किस्तें आवंटित द्वारा निकटतम उपकोष में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को या उससे पूर्व संदाय कराई जायेगी । चूक की दशा में ऐसी किस्त की राशि पर उसके देय तिथि से संदाय की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगा ।

उप-नियम (6) में निर्धारित समस्त वार्षिक किस्तें ऐसी तिथि पर देय होगी जो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश में निर्दिष्ट की जावे । ऐसी निर्दिष्ट तिथि पर किस्तों के चूक पर देय तिथि से संदाय की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से सूद देय होगा । परन्तु यह कि यदि लगातार कोई

दो किस्तों का संदाय नहीं करता तो उपनिवेशन आयुक्त की इच्छा से भूमि का आवंटन न रद्द किये जाने योग्य होगा और ऐसा भूमि आवंटन रद्द का आदेश जारी होने पर बिना किसी प्रकार के मुआवजा दिये जाने के भूमि राज्य सरकार में पुनः निहित होगी और आवंटन अधिकारी उस भूमि को किसी भी अन्य पात्र (eligible) व्यक्ति को आवंटन कर सकेगा।

(8) उप-नियम (5) तथा (6) के अधीन यदि कोई आवंटित अपनी आवंटित भूमि की कुल कीमत देय होने से पूर्व एक ही किस्त में संदाय करता है तो उसे कीमत की 25 प्रतिशत छूट (Rebate) दी जावेगी। इसी प्रकार यदि ऐसा आवंटित ने कुछ किस्तों का संदाय कर दिया है और शेष किस्तों की राशि उनके देय होने से पूर्व और किसी भी स्थिति में 31 मार्च, 1972 से पूर्व एक मुश्त राशि में संदाय कर देता है तो इस प्रकार संदाय किस्तों की रकम की 25 प्रतिशत रिबेट दी जावेगी।

(9) आवंटन अधिकारी देय किस्तों की मांग का एक प्रपत्र तैयार करेगा और उनकी वसूली शुरू करेगा। जब तक कि आवंटित से आवंटित भूमि की कुल कीमत वसूल नहीं हो जाती है। ऐसा करने के लिए भूमि के आवंटन करने के तुरन्त बाद आवंटन अधिकारी प्रत्येक आवंटित के लिए ऐसे खाते (Ledgers) और अन्य कोई लेखा पंजीकार्य जो उप-निवेशन आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जावे रखेगा। उप-निवेशन कार्य (colonisation operation) की समाप्ति पर अथवा उपनिवेशन आयुक्त के निर्देशन पर ऐसे मांग, प्रपत्र, खाते (Ledgers) और अन्य लेखा पंजीकार्य सम्बन्धित राजस्व लेखा के कलक्टर को हस्तान्तरण कर दिये जायेंगे और उसके पश्चात् ऐसे कलक्टर का कर्तव्य होगा कि वह वार्षिक मांग, प्रपत्र तैयार करे, खाते (Ledgers) और अन्य लेखा पंजीकार्य रखे और आवंटित से शेष किस्तें बकाया और अन्य मांग जब और जैसे देय हो वसूल करें।

(10) इन नियमों के अधीन किसी आवंटित से वाजिब समस्त बकाया, भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल हो सकेगी।

स्पष्टीकरण:—इन नियमों में जहां भी आवंटित (Allottee) शब्द प्रयोग में लाया गया है उसमें जहां आवंटित मर जाता है उसके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि और हकदार सम्मिलित होंगे।

(11) उपरोक्त दोनों प्रकार के नियमों के बनने से पहले राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि को आवंटन एवं बिक्री सम्बन्धी नियम 1967 में बनाये गये थे जो राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान कानून परियोजना में सरकार भूमि के आवंटन एवं बिक्री) नियम, 1967 कहलाते हैं। इन नियमों में अधिसूचना संख्या एफ० 22 (54) राज/उप/64 पी, दिनांक 21-8-68 द्वारा संशोधन किया गया। इन नियमों में भूमि आवंटन अथवा बिक्री सम्बन्धित कीमत व उसके संदाय का जो तरीका रखा गया था वह निम्न प्रकार है:—

नियम 23:—विभिन्न वर्गों की भूमि की कीमत दर और उसके संदाय करने का तरीका:—(1) इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि जिसके कई प्रकार के मृदा वर्ग आवंटन अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, की कीमत निम्न प्रकार से वसूल होगी:—

क्र० सं०	मृदा वर्ग	कीमत प्रति बीघा	कीमत प्रति मुरब्बा (25 बीघो का)
1.	नाली	800/-	20,000/-
2.	लाइट लूम	675/-	16,875/-
3.	सेन्डी लूम	500/-	12,500/-
4.	अनकमान्ड भूमि	150/-	3,750/-

(2) उपरोक्त कीमतों पर आवण्टित सरकारी भूमि पर कोई सुधार कर नहीं लिया जावेगा।

(3) यदि, असिंचित भूमि के रूप में आवण्टित भूमि, बाद में किसी समय में सिंचित भूमि हो जाती है तो संदेय कीमत वह होगी जो सिंचित भूमि के लिये निहित है और आवण्टित उक्त दोनों भूमियों की कीमत के अन्तर का संदाय करने का भागी होगा। यदि सिंचित भूमि के रूप में आवण्टित भूमि, उसकी कीमत का पूर्ण रूप से संदाय होने के पूर्व ही सिंचाई विभाग द्वारा असिंचित भूमि के रूप में घोषित कर दी जाती है तो सिंचित भूमि के रूप में उसकी कीमत के संदाय के प्रति दी गई रकम आवण्टित को वापस की जावेगी।

(4) भूमि आवण्टन के समय वह आवण्टित जो पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है कीमत का 12½ प्रतिशत और वह जो पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग का है कीमत का 5 प्रतिशत संदाय करेगा और शेष रकम आवण्टित भूमि के सिंचाई हेतु पानी दिये जाने वाले वर्ष से शुरू होकर

10 समान किशतों में प्रति मुरब्बा (25 बीघा का) के लिए निम्न प्रकार संदाय करेगा:-

(उपया अगले पृष्ठ पर देखिये)

भूमि आवंटन के प्रपत्र	नाली		लाइट लूम		सेन्डी लूम		अनकमान्ड	
	अनुसूचित जाति/वर्ग के अतिरिक्त आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग का आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग के अतिरिक्त आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग का आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग के अतिरिक्त आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग का आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग के अतिरिक्त आवंटनी	अनुसूचित जाति/वर्ग का आवंटनी
भूमि आवंटन के समय पर	2500	1000	2109	844	1562.50	625.00	718.75	187.50
प्रथम वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.10	356.25
द्वितीय वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.10	356.25
तृतीय वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.10	356.25
चतुर्थ वर्ष	1758	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.10	356.25
पंचम वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.10	356.25
षष्ठम् वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.15	356.25
सप्तम् वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.15	356.25
अष्टम् वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.15	356.25
नवम् वर्ष	1750	1900	1476	1603	1093.75	1187.50	303.15	356.25
दसवां वर्ष	1750	1900	1482	1604	1093.75	1187.50	305.15	356.25
योग	20000	20000	16875	16875	12500.00	12500.00	3750.00	3750.00

(5) आवन्ति को समस्त वार्षिक किश्तें निकटतम उप-कोष में 15 जुलाई को या उससे पूर्व संदाय करानी होगी और उस तारीख पर चूक में पड़ने वाली किश्तों की रकम पर 9 प्रतिशत की दर से सूद लिया जायेगा।

(6) प्रत्येक आवन्ति को भूमि का आवन्तन करने के बाद उपनिवेशन उपायुक्त प्रत्येक आवन्ति से सम्बन्धित उससे वसूल की जाने वाली किश्तों की मांग का विवरण तैयार करेगा और उस मांग के प्रपत्र को कलेक्टर को भेजेगा और फिर यह कलेक्टर का कर्तव्य होगा कि यह आवन्ति से किश्तों की वसूली जब और जैसे देय हों, करेगा और उससे सम्बन्धित खाते (लेजर) एवं लेखा पंजिकायें रखेगा। प्रत्येक वर्ष पर प्रत्येक आवन्ति से वसूल की गई रकम तथा उसके जिम्मे बकाया में पड़ने वाली देय किश्तों की सूचना उप निवेशन आयुक्त तथा उपनिवेशन उप-आयुक्त, यदि कोई हों, को भेजेगा।

नियम 26. इन नियमों के अधीन बिक्री की शर्तें:—(एच) नीलामी खत्म करने के तुरन्त बाद बोलीदार जिसकी बोली उपनिवेशन आयुक्त को स्वीकृति हेतु भेजी जानी है द्वारा कीमत (Purchase price) के 50 प्रतिशत के बराबर रकम नकदी में जमा कराई जायेगी और शेष रकम भूमि का कब्जा देने से पूर्व वसूल की जायेगी।

(आई) यदि कोई खरीददार नियम 26 में निर्दिष्ट किसी भी शर्त का उल्लेख करता है तो उस द्वारा जमा कराई रकम राज्य सरकार के हुक में जन्त कर ली जायेगी और उपनिवेशन आयुक्त भूमि को फिर से आय बोली द्वारा पुनः बेच सकेगा और इस प्रकार पुनः बेचान से किसी प्रकार की होने वाली हानि की पूर्ति दोषी खरीददार से की जावेगी।

(जे) यदि किसी भी समय यह पता चलने पर कि, इस नियम के खण्ड डी (II) में वर्णित हलफनामा गलत है तो अधिक भूमि और यदि खरीददार भूमि को खुदकाशत न करे तो समस्त बेची गई भूमि कलेक्टर द्वारा बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये राज्य सरकार में निहित की जा सकेगी।

उपरोक्त आवन्तन एवं बिक्री नियम, 1967, राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 1955 से पश्चात् के अस्थाई काश्तकारान और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1971 के नियम 19 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। परन्तु (1) 1967 के नियमों के अधीन कोई भी किया गया कार्य नियम 1971 के अधीन किया जाना माना जावेगा। (2) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में 1971 के नियमों के लागू होने से पूर्व सरकारी भूमि का किया गया समस्त पुख्ता आवन्तन जिन पर नियम 1971 लागू होते हैं, प्रत्येक आवन्ति को आवन्तित भूमि के बिना किसी लिहाज के नियम 1971 के अधीन माना जावेगा और आवन्ति भूमि की कीमत नियम 1967 में निर्धारित दर एवं तरीके से संदाय कराने का भागी होगा।

ब—पैतालिसा गांव में गैर-दाखिलकार काश्तकारों को भूमि आवंटन

13. (1) जिला गंगानगर की तहसील टी बी में 44 गांव बिस्वेदारी के थे जिन्हें पैतालिसा कहा जाता है। राजस्थान जमींदारी/बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत बिस्वेदारी समाप्त कर दिये गये। गैर-दाखिलकारों के निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही भूमि पर उनको खातेदारी हुकूम प्रदान करने का विषय राज्य सरकारी के विचाराधीन था। नोटिफिकेशन सं० एफ० 4 (ए) राज०/उप/70, दिनांक 13-8-70 से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (पैतालिसा क्षेत्र में गैर-दाखिलकार काश्तकारों को राजकीय भूमि का आवंटन) शर्तें, 1970 जारी की गई हैं।

(2) उपरोक्त शर्तों के लागू होने के पूर्व पैतालिसा गांव में गैर-दाखिलकारान को राजकीय भूमि भाकरा उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाकरा परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियमों, 1955 के अन्तर्गत आवंटन किया गया था जिसे इन शर्तों की शर्त 3 (2) के अन्तर्गत रद्द समझा जावेगा।

(3) पैतालिसा ग्रामों का क्षेत्र दो परियोजनाओं अर्थात् भाकरा व राजस्थान नहर परियोजनाओं में स्थित है।

(4) भाकरा परियोजना में स्थित भूमि के आवंटन के अधिकारी कन्क्टर (जिलाधीश) तथा राजस्थान नहर परियोजना में स्थित भूमि के आवंटन अधिकारी उपनिवेशन उप-आयुक्त हैं।

(5) भूमि आवंटन की शर्तें उपरोक्त शर्तों की शर्त सं० 3 में बताई गई हैं जिन में से मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं:—

(क) इन शर्तों के अन्तर्गत राजकीय भूमि का आवंटन स्थाई रूप से होगा जिस पर खातेदारी हक प्राप्त होगा। राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 व अन्य शर्तें जो समय समय पर धारा 7 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जारी की जावे लागू, होंगी।

(ख) भूमि का आवंटन निःशुल्क अथवा कीमत पर करने का प्रावधान उपरोक्त शर्तों की शर्त संख्या 9 में दिये गये हैं जो इस परिशिष्ट के अन्य में उद्धृत किए गए हैं।

(6) (क) उपरोक्त शर्तों की शर्त 10-क के अन्तर्गत भूमि का कीमतन आवंटन करने की दशा में मूल्य तथा प्रीमियम भिन्न प्रकार निम्न की भूमि का निम्न प्रकार निश्चित किया गया है:—

क्रमांक प्रकार	मूल्य तथा प्रीमियम प्रति बीघा	मूल्य प्रति मुरब्बा (25 बीघे का)
1. नाली	400.00	10,000/-
2. लाइट लूम	280.00	7,000/-
3. सेन्डी लूम	200.00	5,000/-
4. अतकमान्ड	50.00	1,250/-

(ख) निर्धारित मूल्य पर आवंटित भूमि पर कोई सुधार कर नहीं लिया जावेगा। परन्तु निःशुल्क आवंटित भूमि पर सुधार कर वसूल होगा।

(ग) यदि, असिंचित भूमि के रूप में आवंटित भूमि बाद में किसी समय में सिंचित भूमि हो जाती है तो संदेय आरक्षित मूल्य ब्रह होगा जो सिंचित भूमि के लिये निहित है और आवंटि उन दोनों भूमियों की कीमत के अन्तर का संदाय करने का भागी होगा।

(घ) यदि, सिंचित भूमि के रूप में आवंटित भूमि, उसकी कीमत का पूर्ण रूप से संदाय होने के पूर्व ही सिंचाई विभाग द्वारा असिंचित भूमि के रूप में घोषित कर दी जाती है तो सिंचित भूमि के रूप में उसकी कीमत संदाय के प्रति दी गई राशि असिंचित भूमि के रूप में उसके लिये संदाय कीमत तथा किशतों के प्रति समायोजित की जावेगी और उससे अधिक रहने वाली राशि आवंटित को वापस दी जावेगी।

(7) भूमि के मूल्य की वसूली निम्न प्रकार से की जावेगी:—

किस्म गैर-दखलदार	भूमि आवंटन की सीमा	मूल्य की वसूली का तरीका
(क) सन् 1928 के पहले से कब्जे कायत में चले आ रहे गैर-दखलदार।	सीलिंग सीमा तक भूमि/ प्रथम 50 बीघा निःशुल्क और शेष आरक्षित मूल्य पर।	1. आवंटन के वित्तीय वर्ष में 3 किशतें।

2. दूसरे वित्तीय वर्ष में 3 किश्तें हर 4 मास बाद ।
3. शेष मूल्य 9 अर्ध-वार्षिक किश्तों में जैसा कि राज्य सरकार निश्चित करे ।
4. आवंटन के साल की प्रथम किश्त आवंटन तिथि के 30 दिन के भीतर ।

परन्तु यदि कीमत आवंटित भूमि 5 बीघा से अधिक नहीं है तो भूमि का समस्त मूल्य एक साथ भूमि आवंटन की तारीख से 30 दिन के भीतर वसूल किया जावेगा । यदि कीमत आवंटित भूमि 10 बीघा से अधिक अथवा 25 बीघा से कम है तो भूमि का मूल्य 2 समान किश्तों में वसूल किया जावेगा । प्रथम किश्त आवंटन की तारीख से 30 दिन के भीतर वसूल होगी ।

(ख) गैर-दाखिलकार जो 1928 से 1955 के बीच किसी तारीख से आज तक लगातार कब्जा काशत में चले आ रहे हैं । सीलिंग सीमा तक/प्रथम 25 बीघा निःशुद्ध शेष आरक्षित मूल्य पर । (क) अनुसार ।

(ग) सन् 1955 के बाद किसी तारीख से 15-11-59 तक लगातार कब्जा काशत वाले गैर-दाखिलकार । 25 बीघा आरक्षित मूल्य पर । (क) अनुसार ।

गैर-दाखिलकारान के कब्जा काशत में यदि 2 वर्ष तक का व्यवधान होगा तो वह माफ किया जा सकेगा, बशर्ते कि भूमि पर इस बीच कब्जा और किसी का नहीं रहा है । उपरोक्त अधिकार देते समय गैर-दाखिलकार एवं उसके संप्रभुक्त परिवार के सदस्यों के कब्जे की समस्त भूमि को हिसाब में लिया जावेगा ।

(घ) उपरोक्त दोनों वर्गों (क) और (ख) के गैर-दाखिलकारों में से उनको जिनके पास 25 बीघा से कम भूमि है इतनी भूमि आरक्षित मूल्य पर दी जावेगी जिसमें उसके पास 25 बीघा तक भूमि हो जावे यदि ऐसी भूमि रूहायश वाले गांव से या उस गांव से चिपते गांव से निकाले गये चक/चकों में भूमि उपलब्ध हो ।

(8) (क) आवंटी द्वारा समस्त वार्षिक किश्तों का 15 जुलाई को या उसके पूर्व निकटतम उप-कोषागार में उनका संदाय किया जावेगा । किसी भी किश्त के संदाय में व्यति-क्रम होने पर उसके देय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से व्याज प्रभारित होगा ।

(ख) यदि कोई किश्त आवंटन की तारीख से 12 मास की अवधि में संदाय नहीं की जाती तो आवंटन रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा और तत्पश्चात् भूमि किसी प्रतिकर के संदाय के बिना राज्य सरकार को प्रतिवर्तित (Revert) हो जायेगी ।

उद्धरण शर्त सं० 9, राजस्थान उपनिवेशन (पैतालीसा में गैर-दाखिलकारों को भूमि आवंटन) शर्त, 1970 ।

9. *Extent of Allotment.*—(1) The Government land resumed under Condition No. 4 shall be allotted in the following manner to a Dakhilkar tenant who is in possession of such land; provided that land other than Gair-Dakhilkar land held by him or any other member of his joint family shall be reduced while making allotment:—

(a) to a Gair-Dakhilkar tenant who is in continuous possession of the land since before Samwat 1985 (calendar year 1928).....up to ceiling area;

Provided that out of the area allotted under this sub-clause, 50 bighas will be allotted free of cost and on the rest, price of premium as prescribed in Condition No. 10 shall be charge; such price or premium shall be recoverable in instalments during the financial year of allotment followed by three-four months instalments in the second financial year and the remaining amount in 9 half yearly instalments as specified by the Government. The amount of first instalment for the year of allotment shall be payable within 30 days of the date of allotment:

Provided further that in case allottee makes payment of the entire price in one lump sum within thirty days of the date of allotment, a rebate of 20% of the price, except the first three instalments payable in the financial year of allotment shall be allowed, similarly, if such an allottee had paid some instalments, except first three instalments, and pays the amount of the remaining instalment in one lump sum before the same have become due and in any case before the 31st March, 1973 he shall be allowed a rebate of 20% of the amount of instalments so paid i.e. the difference between the amount payable minus the amount due:

Provided also that the price of premium shall be recovered in one lump sum instalment within 30 days of the allotment, if the land allotted on price or premium does not exceed 10 bighas but does not exceed 25 bighas, the first of such instalments being payable within 30 days of the allotment.

(b) to Gair-Dakhilkar having lands under their continuous possession from any date between the years 1928 to 1955.....up to ceiling area.

(bb) if the allottee holds khatedari or Mourusi land any where, the free allotment under sub-clauses (a) and (b) above shall be reduced to that extent:

Provided that out of the area allotted under this clause, 25 bighas will be allotted free of cost and the land in excess of 25 bighas and up to the ceiling limit shall be allotted on price or premium as provided in Condition No. 10 and shall be recoverable in the manner prescribed in the provisos to sub-clause (a) above.

(c) to Gair-Dakhilkars having up to date continuous possession of the land from any date from 1955 to 15-11-59.....up to 25 bighas:

Provided that on the land allotted under this sub-clause, price or premium prescribed under Condition No. 10 shall be charged and the same shall be recoverable in the manner given in the provisions to sub-clause (a) above.

(2) A break in the continuous cultivatory possession of a tenant not exceeding two years shall be condoned where the land in question had been in actual physical possession of such tenant. [Deleted vide Notification No. F. 4(A)(3)Rev./Col./50, dated 15-10-71].

(3) All annual instalments shall be payable by the allottee at the nearest Sub-Treasury on or before 15th day of July and in case of default, interest @ 9% per annum shall be charged on the amount of instalment falling in arrears on that date.

(4) If any instalment is not paid within 12 months of the date of allotment, the allotment shall be liable to cancellation and the land allotted shall revert to the Government without payment of any compensation whatsoever.

(5) If a Gair-Dakhilkar tenant of the categories (a) and (b) mentioned in clause (1) above holds land as Gair-Dakhilkar together with any other land held by him is less than 25 bighas, he shall be allotted an additional area of land at the price or premium at the rate prescribed under Condition No. 10, to complete his holding up to 25 bighas. Provided that land is available in chak carved out of the village of which he is residence or chaks of the village adjoining the village of the resident of the applicant.

इ—चम्बल परियोजना क्षेत्र

14. चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन व विक्रय के संबंध में राजस्थान उप-निवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन व विक्रय) नियम, 1957 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रसारित किये गये हैं।

इन नियमों के अन्तर्गत सरकारी भूमि का कृषि हेतु वितरण (आवंटन व सार्वजनिक नीलामी) द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राजकीय आदेशों के अन्तर्गत कृषि भूमि अतिक्रमण के मामलों में विनियमन की भी व्यवस्था की गई है। भूमि के वितरण मूल्य निर्धारण व भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण नियम व निर्देश निम्नलिखित हैं :—

- (1) राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स, 1955 समस्त आवंटन व विक्रय पर लागू होगी। (नियम 3)
- (2) समस्त आवंटन जनरल कोलोनी कन्डीशन्स व अन्य विशिष्ट जर्तों के अधीन रहते हुए स्थाई रूप में होंगे। आवंटन प्रक्रिया नियम 9 से 15 में वर्णित है। शर्तों की पूर्ति के पश्चात् आवंटन ग्रहीता आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का भागी होगा। (नियम 8)
- (3) नियम 16 के अन्तर्गत, कृषि हेतु उपलब्ध राजकीय भूमि की विभिन्न किस्मों के लिए; प्रारम्भिक निर्धारित मूल्य दरों में संशोधन कर निम्न दर प्रति बीघा राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं० एफ० 3(145) रेवे 2/कोलो/65, दिनांक 15-3-65, द्वारा निर्धारित की गई जिनके अनुसार आवंटित भूमि की मूल्य राशि निर्धारित की जायेगी:—

<u>भूमि वर्गीकरण</u>		<u>पूर्व निर्धारित मूल्य प्रति बीघा</u>	<u>संशोधित मूल्य दर प्रति बीघा</u>
सिंचित भूमि	माल I	225.00	250.00
	माल II माल III	150.00	170.00
	माल IV	90.00	100.00
असिंचित भूमि	माल I	80.00	90.00
	माल II माल III	60.00	70.00
	माल IV	25.00	35.00

- (4) राज्य सरकार की विज्ञप्ति सं० एफ० 22(30) रेवे/उम/66, दिनांक 18-7-68 द्वारा उक्त मूल्य दरों में पुनः संशोधन कर निम्न संशोधित मूल्य दरें प्रति बीघा निर्धारित की गईं:—

<u>भूमि वर्गीकरण</u>		<u>संशोधित मूल्य दर प्रति बीघा</u>
सिंचित भूमि	माल I	325.00
	माल II माल III	225.00
	माल IV	125.00
असिंचित भूमि	माल I	125.00
	माल II माल III	100.00
	माल IV	50.00

(5) राज्य सरकार के आदेश सं० प० 7(48)सिचाई/61, दिनांक 26-7-61 के अन्तर्गत कृषि हेतु भूमि विक्रय राशि 3 वार्षिक किश्तों में देय होगी ।

(6) कृषि हेतु भूमि विक्रय के सम्बन्ध में विस्तृत पद्धति उक्त नियमों में नियम 18 से 21 में वर्णित है एवम् जनरल कोलोनी कन्डीशन्स के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट शर्तों का प्रावधान नियम 21 में किया गया है—भूमि के सार्वजनिक नीलाम में बोलीदाता की पालना व विक्रय राशि के भुगतान के संबंध में निम्न शर्तों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा:—

(क) भूमि का विक्रय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य अथवा सार्वजनिक नीलाम में प्राप्त मूल्य दोनों में जो भी अधिक हो, पर किया जावेगा ।

(ख) कोई भी व्यक्ति बोली लगाने हेतु तब तक राक्षम नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित भू-खण्ड हेतु कुल आरक्षित मूल्य राशि का 5% नकद अग्रिम जमा नहीं करा देगा । यह अग्रिम राशि नीलामी की समाप्ति पर असफल बोलीदाताओं को मौके पर ही वापिस कर दी जायेगी ।

(ग) बोलीदाता को नीलामकर्ता अधिकारी के समक्ष ऐसा घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि उसके स्वयं या उसके गामलात परिवार के किसी सदस्य के पास कोई भूमि नहीं है और यदि है तो इच्छित क्रय की जाने वाली भूमि सहित कुल क्षेत्रफल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 180 के खण्ड 'ए' के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा और उस भूमि को वह स्वयं काश्त करेगा । यदि किसी समय यह घोषणा-पत्र मिथ्या पाया गया तो बिना मुआवजा विक्रय की गई भूमि राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी ।

(घ) अन्तिम बोलीदाता को बोली की समाप्ति के तुरन्त बाद 25% विक्रय राशि नकद जमा करानी होगी व नीलाम की स्वीकृति की सूचना दिये जाने के एक माह के भीतर अवशेष राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक द्वारा ऐसे अनुसूचित बैंक के माध्यम से जिसकी शाखा राजस्थान में हो, जमा करानी होगी ।

(ङ) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना नहीं की गई तो उसके द्वारा जमा राशि जब्त की जाकर भूमि को पुनः सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेचा जावेगा व पुनः नीलाम पर मूल्य राशि में हुई कमी की क्षतिपूर्ति दोषी क्रेता द्वारा देय होगी व उससे बसूल की जावेगी ।

(7) राजस्व उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 22 (26) रेवे/कोलो/65, दिनांक 23-9-66 द्वारा नियम 21 के खण्ड (ज) के स्थान पर विक्रय मूल्य के भुगतान के संबंध में निम्न शर्त प्रतिस्थापित की गई हैं:—

(ज) क्रय मूल्य की 25% के बराबर की धनराशि नकद में उसी तारीख को जमा करानी पड़ेगी जिस तारीख को नीलाम की बोली समाप्त होती है । क्रय मूल्य का 15% उक्त तारीख से एक मास के भीतर दिया जायेगा और शेष 60% दो बराबर वार्षिक किश्तों में चुकाया जावेगा अर्थात् क्रय मूल्य का 30% उक्त तारीख से एक वर्ष के पश्चात् और शेष 30% दूसरे वर्ष की समाप्ति पर । किश्तों में दी जाने वाली उक्त राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से नीलामी तिथि से ब्याज लगेगा और ब्याज क्रय मूल्य की किश्तों के साथ देय होगा ।

परन्तु ब्याज के साथ किश्तों में भुगतान की उपरोक्त रिआयत 21 अक्टूबर, 1961 के पश्चात् नीलाम द्वारा किये गये समस्त विक्रयों पर भी लागू की जा सकेगी ।

- (8) भूमि के नजराना या विक्रय मूल्य के भुगतान के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण अनुबन्ध राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स, 1955 के अनुसार लागू होंगे:—
- (क) किश्तों में देय राशि का निर्धारित तिथि के बाद भुगतान किये जाने की अवस्था में 6% सुद अतिरिक्त देय होगा व विलम्ब की अवधि के बराबर भू-खातेदारी अवधि बढ़ाई जावेगी। (अनुबन्ध 15)
- (ख) अनुबन्धों के उल्लंघन अथवा समय पर देय राशि का भुगतान, नोटिस दिये जाने पर 15 दिन की अवधि में न करने पर, कलक्टर रु० 500/- तक शास्ति प्रत्येक मामले में आरोपित कर सकते हैं अथवा शास्ति आरोपित करने के बजाय सरकार बिना मुआवजा भूमि को वापस पुनर्ग्रहण कर सकेगी। (अनुबन्ध 22)
- (9) चम्बल परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन व विक्रय नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2), खण्ड (बी) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील किसानों (प्रोग्रेसिव फार्मर्स) व कृषि स्नातकों को भूमि आवंटन के संबंध में पृथक नियम विज्ञप्ति संख्या एफ० 7(139)इरि/60, दिनांक 10-12-62 द्वारा प्रसारित किये गये हैं—इन नियमों के अन्तर्गत चम्बल परियोजना क्षेत्र की प्रत्येक तहसील में दो प्रगतिशील किसानों को 30 एकड़ तक सिंचित भूमि आवंटन की जायेगी। तत्सम्बन्धी अनुबन्धों व आवंटन प्रक्रिया का उल्लेख नियम 4 से 12 में किया गया है।
- ये आवंटन 1/4 आरक्षित मूल्य पर किये जायेंगे। भूमि की मूल्य राशि दस वार्षिक किश्तों में भुगतान योग्य होगी व आवंटन के प्रथम दो वर्षों में कोई भुगतान देय नहीं होगा व इस अवधि की समाप्ति पर आवंटन ग्रहीता आवंटित भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- (10) विनियमन:—भूमि आवंटन व विक्रय के अतिरिक्त इस परियोजना क्षेत्र में राज्य सरकार के पत्र सं० एफ० 3(35)राजस्व/ख/60, दिनांक 1-4-60 द्वारा कतिपय मामलों में अतिक्रमियों के अधीन सरकारी भूमि के विनियमन की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में भूमि मूल्य राशि निर्धारण की निम्न दरें घोषित की गई हैं:—
- (क) दिनांक 2-12-53 से पूर्व के अतिक्रमणकारियों को भूमि का आरक्षित मूल्य से 33% कम राशि पर।
- (ख) दिनांक 2-12-53 से दिनांक 15-10-55 तक के अतिक्रमियों को आरक्षित मूल्य के भुगतान पर खातेदारी स्वत्व दिये जावेंगे।
- (ग) दिनांक 15-10-55 के बाद के अतिक्रमियों में से भूमिहीन कृषकों को 8 एकड़ तक भूमि आरक्षित मूल्य व 15% शास्ति ली जाकर व खातेदारी आसामियों को 8 एकड़ तक भूमि इसी मूल्य (आरक्षित मूल्य + 15% शास्ति) पर इस अनुबन्ध के साथ कि उनके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल 25 एकड़ से अधिक न हो, खातेदारी स्वत्व प्रदान किये जायेंगे।
- (घ) खातेदार आसामी जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है, को अतिक्रमण भूमि इतनी मात्रा में आवंटित की जायेगी कि उनके द्वारा धारित कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ हो जाय।
- (ङ) उक्त आदेश दिनांक 1-4-60 से पूर्व के अतिक्रमणों के संबंध में लागू होगा व इस आदेश के अनुच्छेद सं० 2(3) के अनुबन्धों के अधीन रहते हुए [जो उपरोक्त उप-खण्ड सं० (क) व (ग) में अंकित हैं] दिनांक 1-4-60 से 31-12-65 तक अतिक्रमियों के अधीन भूमि आरक्षित मूल्य व 33% शास्ति के भुगतान पर विनियमित की जायेगी [राज्य सरकार पत्र संख्या एफ० 22(30)रेवे/कोलो/65, दिनांक 2-1-67]।
- (च) विनियमन के कारण निर्धारित मूल्य राशि का भुगतान निम्न प्रकार किश्तों में देय किया जा सकेगा। किश्तों की राशि का इस प्रकार भुगतान राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कोलोनी) कन्डीशन्स, 1955 के अनुबन्ध सं० 15 के अन्तर्गत देय होगा। 3 एकड़ से कम भूमि के विक्रय की राशि 4 किश्तों में (जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए न हो) देय होगी। [राज्य सरकार पत्र सं० एफ० 7(172)रबी/60, दिनांक 8-9-61]।

चम्बल परियोजना क्षेत्र में अतिक्रमियों के विनियमन पर निर्धारित आरक्षित मूल्य राशि के किस्त निर्धारण अनुसूची

आरक्षित मूल्य राशि	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.00	50/-									
51.00 से 100.00	50/-	50/-								
101.00 से 500.00	50/-	75/-	100/-	125/-	150/-					
500.00 से 1000.00	75/-	75/-	100/-	125/-	125/-	150/-	150/-	200/-		
1001.00 से 2000.00	100/-	125/-	125/-	150/-	150/-	200/-	200/-	250/-	300/-	350/-
2001.00 से 5000.00	150/-	200/-	250/-	300/-	400/-	500/-	600/-	700/-	900/-	1000/-

270

नोट:—प्रथम किस्त पूरी वसूल की जायेगी व बाद की किस्तें वार्षिक देय होंगी जो रबी व खरीफ राजस्व के साथ समान अनुपात में वसूल की जायेगी।
किस्त राशि का समय पर भुगतान न होने की अवस्था में 6% ब्याज और देय होगा।

ख—मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना

15. (1) मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में सरकारी भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1957 विज्ञप्ति सं० एफ० (6) (348) राज/ए/56/भाग-2, दिनांक 29-10-57 द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से प्रभावशील हैं और ऐसे क्षेत्रों पर जो कि एक उपनिवेशन घोषित किये जावें और जो एक मध्यम तथा लघु परियोजना से प्रभावित होते हों, लागू होंगे।

(2) मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं से तात्पर्य गंग कैनल, चम्बल, जवाई, राजस्थान नहर अथवा भाकरा के अतिरिक्त अथवा ऐसी अन्य परियोजना जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अधीनता (Purview) से निकाली जावे तथा प्रकाशित की जावे के अतिरिक्त अन्य समस्त सिंचाई परियोजनाओं से है। [नियम 2 (7)]

(3) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955 इन नियमों के अधीन किये गये समस्त भूमि आवंटन पर (*Mutatis mutandis*) लागू होंगी। (नियम 3)

(4) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि की कीमत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से वसूल की जावेगी। (नियम 12)

(5) नीलामी द्वारा सरकारी भूमि की बिक्री—समस्त सरकारी उपलब्ध भूमि को वांट की बजाये समस्त अथवा उसके कुछ भाग को जो सरकार द्वारा निश्चित किया जाय ग्राम नीलामी द्वारा बचने के आदेश राज्य सरकार दे सकेगी। ऐसी दशा में इस प्रकार नीलामी से बिक्री पर राजस्थान उपनिवेशन (भाकरा परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री) नियम, 1955 के भाग 'ख' (बी) के प्रावधान (*Mutatis mutandis*) लागू होंगे। (नियम 13)

(6) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1968—यह नियम विज्ञप्ति सं० एफ० 4(ए) (3) राज/उप/68, दिनांक 20-6-68, द्वारा प्रकाशित किये गये और राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (ग) साधारण में प्रकाशित होने की दिनांक 11-7-68 से प्रभावशील हैं।

(7) यह नियम ऐसे क्षेत्रों पर जिन पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (अधिनियम सं० 27, 1954) धारा 2 के उप-खण्ड (11) के अधीन उपनिवेशन अधिनियम लागू किया जा चुका है और जो एक मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना से प्रभावित होते हैं, पर लागू होंगे। [(नियम 1 (2))]

(8) राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं सरकारी भूमि आवंटन) नियम, 1957 उपरोक्त नये नियमों से रद्द (Revoke) किये गये परन्तु इस सीमा तक नहीं कि इस प्रकार रद्द (Revoked) नियमों के अधीन कोई किया गया कार्य अथवा कार्रवाई पर प्रभाव पड़े। (नियम 2)

(9) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें, 1955, इन नियमों के अधीन समस्त भूमि आवंटन पर (*Mutatis mutandis*) लागू होंगी। (नियम 4)

(10) भूमि आवंटन के प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति पर आवंटन अधिकारी (कलक्टर) प्रार्थी के नाम एक आवंटन आदेश जारी करेगा और उसे आवंटित भूमि का कब्जा देगा। [नियम 12 (4)]

(11) इन नियमों के अधीन आवंटित सरकार भूमि की ली जाने वाली कीमत वह विहित कीमत होगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी जो विभिन्न भूमि वर्ग अथवा क्षेत्र के लिये भिन्न भिन्न हो सकेगी। निर्धारित कीमत दस समान अर्द्ध वार्षिक-क्रयों में वसूल की जायेगी। (नियम 17)

(12) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 3 (66) रेवे/बी/ग्रुप-2/62, दिनांक 1-9-62 द्वारा कृषि भूमि पर अनधिकृत कब्जों के नियमन की भी सुविधा प्रदान की गई है। इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान प्रसारित किये गये हैं:—

- (क) ऐसे समस्त अतिक्रमियों को जो सरकारी भूमि पर दिनांक 2-12-53 से पहले के कब्जेदार हैं और भू-राजस्व का भुगतान कर रहे हैं, खातेदारी अधिकार प्रदान किए जायेंगे, बशर्ते कि वे उक्त भूमि का आरक्षित मूल्य चुकायें और उनकी सम्पूर्ण भूमि 5 एकड़ सिंचित (चाही) या 15 एकड़ असिंचित भूमि से अधिक न हो।
- (ख) ऐसे अतिक्रमियों को जिन्होंने भू-राजस्व नहीं चुकाया है और जो दिनांक 2-12-53 से पहले के कब्जेदार हैं 5 एकड़ सिंचित या 15 एकड़ असिंचित भूमि की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, उनसे आरक्षित मूल्य तथा शास्ति स्वरूप वार्षिक भू-राजस्व की दुगुनी राशि वसूल करने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।
- (ग) ऐसे अतिक्रमियों को जिन्होंने 2-12-53 के बाद अनधिकृत कब्जा किया है और भू-राजस्व चुका दिया है, उपरोक्त निर्धारित अधिकतम भूमि सीमा के अधीन रहते हुए, उनसे वार्षिक भू-राजस्व की दुगुनी राशि तथा आरक्षित मूल्य वसूल करने के पश्चात् खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेंगे।
- (घ) जिन अतिक्रमियों ने 2-12-53 के बाद भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है और भू-राजस्व भी नहीं चुकाया है, उनसे, ऊपर वर्णित अधिकतम भू-सीमा के अधीन रहते हुए, शास्ति स्वरूप वार्षिक भू-राजस्व की तिगुनी राशि तथा उक्त भूमि के आरक्षित मूल्य वसूल कर लेने के पश्चात्, उन्हें अपने मामलों को निर्धारित कराने का हकदार ठहराया जा सकेगा।
- (ङ) ऐसे अतिक्रमी जिन्होंने अनधिकृत कब्जा 1955 के पश्चात् किया है और भू-राजस्व का भुगतान करते रहे हैं, वार्षिक भू-राजस्व की तिगुनी राशि तथा आरक्षित मूल्य चुकाने के बाद, ऊपर निर्धारित अधिकतम भू-सीमा तक अपने मामले नियमित करवा सकेंगे।
- (च) ऐसे अतिक्रमी जिन्होंने अनधिकृत कब्जा 1955 के पश्चात् किया है किन्तु भू-राजस्व नहीं चुकाया है, शास्ति स्वरूप वार्षिक भू-राजस्व की चौगुनी राशि तथा आरक्षित मूल्य चुकाने के बाद, ऊपर लिखित अधिकतम भू-सीमा तक अपने मामले नियमित करा सकेंगे।
- (छ) उपरोक्त मामलों में आरक्षित मूल्य भूमि के पांच वर्ष तथा मध्यम व लघु सिंचाई क्षेत्रों के आर्बटन अंतर्धी नियम प्रभावशील होने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य का औसत मूल्य होगा। मध्यम तथा लघु सिंचाई के ऐसे क्षेत्रों के संबंध में जहां कि संशोधित परिवर्तित दरें प्रभावशील नहीं हुई हों, भू-राजस्व का निर्धारण अब प्रचलित दरों के आधार पर किया जायेगा।
- (ज) इस प्रयोजनार्थ दिनांक 31-12-61 तक के अनधिकृत कब्जा संबंधी मामलों पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसे अतिक्रमियों को अपने मामलों के नियमन हेतु आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 30-9-62 तक प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् कोई आवेदन-पत्र ग्रहण नहीं किया जावेगा।
- (झ) उपरोक्त प्रकार नियमन की अवस्था में अनधिकृत कब्जा की अवधि की भू-राजस्व की बकाया दो किश्तों में वसूल की जावेगी :—

(1) चालू वर्ष का भू-राजस्व तथा प्रथम चार वर्षों की बकाया प्रथम वर्ष में वसूल की जावेगी।

(2.) चालू वर्ष का भू-राजस्व तथा शेष वर्षों के भू-राजस्व की बकाया द्वितीय वर्ष में वसूल की जावेगी।

(3.) भूमि का मूल्य वार्षिक किशतों में पांच वर्षों में चकाया जावेगा।

टिप्पणी:—वे समस्त व्यक्ति जो उपर्युक्त अधिकतम सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा किए हुए हैं बेदखल कर दिये जाने चाहिए और उनसे भू-राजस्व की छः गुनी राशि शास्ति के तौर पर तथा जिस अवधि में भूमि पर अवैधानिक रूप से काबिज रहे हैं उस अवधि का भू-राजस्व वसूल किया जाना चाहिए।

(13) राजस्व (उपनिवेश) विभाग के आदेश संख्या एफ० 7(51)सिचाई/62, दिनांक 24-4-68 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (अधिनियम सं० 27, सन् 1954) की धारा 2(11) के अन्तर्गत जो क्षेत्र कोलोनी (मध्यम एवं लघु सिचाई योजना) में घोषित किये गये हैं उनके अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे निम्न शर्तों पर बंध किए जाने का प्रावधान किया गया है:—

- (क) केवल उन्हीं कब्जों का नियन्त्रण किया जावे जो 1 जनवरी, 1962 से 31 दिसम्बर, 1967 तक के हैं।
- (ख) जिन अतिक्रमियों का कब्जा नियमित किया जावे उनसे भूमि की रिजर्व कीमत जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वह मय 20% पैनल्टी के वसूल की जाये। यह कीमत मय पैनल्टी यदि तत्काल जमा न कराई जा सके तो उसे सालाना किशतों में दिया जा सकेगा व किशतों की अवधि किसी भी सुरत में 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ग) उपरोक्त कीमत व पैनल्टी जमा कराने के बाद ही भूमि पर खातेदारी हक प्रदान किया जावेगा।
- (घ) उपरोक्त आदेश का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जावेगा जिनके पास उनके खुद के या उनके परिवार के सदस्य के नाम 10 एकड़ सिंचित या 20 एकड़ असिंचित से अधिक भूमि इस अतिक्रमण से नियमित की हुई भूमि को शामिल करते हुए नहीं हो। यदि किसी अतिक्रमी के पास इससे अधिक भूमि उसके या उसके परिवार के सदस्य के नाम से है तो केवल उतनी ही भूमि का बंधकरण किया जावेगा जो 10 एकड़ सिंचित या 20 एकड़ असिंचित की हद में हो व इससे अधिक अतिक्रमण भूमि पर से अतिक्रमी को नियमानुसार बेदखल किया जावेगा।
- (ङ) उपरोक्त तमाम नाजायज कब्जे 6 मास की अवधि में बंध कर दिये जावें।

छ—जागीरदारान को सरकारी भूमि का आवंटन

16. (1) राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण नियम, 1954" बनाये जाकर दिनांक 16-6-64 से प्रभावशील किये गये। इन नियमों के अध्याय 2 में जागीरदारान को खुदकाशत के लिये सरकारी भूमि आवंटन संबंधित भूमि का मूल्य एवं कीमत की अदायगी आदि के बारे में नियम दिये गये हैं। मुख्य नियम 15 का अंश इस प्रकार है:—

नियम 15. (1):—कोई भी जागीरदार, जिसको भाकरा, चम्बल तथा जवाई परियोजनाओं द्वारा कमांड भूमि आवंटन की जाती है निम्नलिखित रियायतें पाने का हकदार होगा:—

- (क) 25 बीघा सिंचित (एक मुर्ब्बा) उस कीमत पर जो उस क्षेत्र के लिये आयुक्त खुदकाशत भूमि द्वारा निर्धारित की जावे। यह कीमत भूमि आवंटन की तारीख से 2 वर्ष बाद चालू होकर 10 वार्षिक किशतों में बिना सूद वसूल की जावेगी।

(ख) उपरोक्त नियमों में केवल तीन परियोजना क्षेत्रों यानी भाकरा, चम्बल तथा जवाई बांध में भूमि आवंटन संबंधी उल्लेख किया गया है। अन्य परियोजना क्षेत्रों में भूमि आवंटन संबंधी रियायतों का इन नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 19 (1) के खण्ड (1) व (VII) में उल्लेखित प्रकार की भूमि, यदि उपलब्ध हो, क्रमवार खुदकाश के लिये आवंटन की जा सकती है। खण्ड (VI) में उल्लेखित है कि भाकरा, चम्बल तथा जवाई बांध तथा अन्य सिंचाई योजनाओं द्वारा कमाण्ड भूमि आवंटन की जा सकेगी परन्तु यह कि ऐसी भूमि का खुदकाश के लिये आवंटन ऐसी रियायतन शर्तों पर किया जावेगा जो निर्धारित की जायें।

(2) गंग नहर क्षेत्र:- गंग नहर क्षेत्र में जागीरदारों को भूमि रियायतन शर्तों पर आवंटन करने के कोई नियम नहीं बनाये गये नही इस क्षेत्र की भूमि आवंटन सम्बन्धी नियमों अर्थात् राजस्थान उप-निवेशन (गंग नहर भूमि स्याई आवंटन) नियम, 1956 में जागीरदारों को रियायतन शर्तों पर भूमि आवंटन करने के लिये कोई प्रावधान रखा गया है गंग नहर क्षेत्र में कुछ भूमि भूतपूर्व सैनिकों के लिये सुरक्षित की गई थी परन्तु बाद में राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ० 3/106/ए/राजस्व/व/55, दिनांक 17-11-55 से उस सुरक्षित भूमि में से कुछ भूमि जिलाधीश, गंगानगर तथा जागीर कमिश्नर के अनुरोधानुसार सैनिकों व जागीरदारों को बसाने के लिये सुरक्षित की गई। यह भूमि पाक सीमा के 5 मील अन्दर होने के कारण आरक्षित कीमत की एक चौथाई कीमत देने के आदेश दिये गये। एक चौथाई कीमत की वसूली का वही तरीका होगा जो राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्याई आवंटन) नियम, 1956 के नियम 7 (2) में बताया गया है यानी 10 समान वार्षिक किस्तों में वसूल होगी।

(3) भाकरा परियोजना क्षेत्र:- इस परियोजना में जागीरदारों को खुदकाश के लिये भूमि आवंटन करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पृथक से नियम (राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण, भाकरा परियोजना क्षेत्र में खुदकाश के लिये रियायतें) नियम, 1955 विज्ञप्ति सं० 4 (192), रेवेन्यू, ए/55/दिनांक 3-6-55 से प्रकाशित किये गये हैं। खुदकाश के लिये भूमि आवंटन भूमि की कीमत तथा उसकी वसूली संबंधी नियम निम्न प्रकार हैं:-

(नियम 8) क्षेत्र कब्जा:- ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी सिफारिश खुदकाश भूमियों के कमिश्नर द्वारा की जावे भूमि की बांट चाहे गैर-खातेदारी भोगावधि पर या 3 वर्ष के अन्तरिम पट्टे पर प्रत्येक व्यक्ति के लिये केवल एक मुरब्बा या 25 बीघे की सीमा तक की जायेगी, जैसा कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खलसा करने के) नियम, 1954 के नियम 15 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) में अन्तर्विष्ट है।

(नियम 9) कब्जा करना:- (1) ऐसा व्यक्ति जिसे कलेक्टर द्वारा नियम 7 के अधीन भूमि की बांट की गई हो अनुदत्त भूमि पर ऐसी बांट के एक मास के भीतर कब्जा कर लेगा।

(2) यदि गैर-खातेदारी भोगावधि पर भूमि का अनुग्रहीता, कलेक्टर द्वारा बांट की तारीख से 3 महीनों के भीतर भूमि पर कब्जा न कर सके तो ऐसा अनुदानग्रहीत बांट का त्याग किया हुआ माना जावेगा और इस पर वह भूमि इन नियमों के अधीन किन्हीं अन्य व्यक्तियों को पुनः बांट के लिये उपलब्ध होगी।

(3) यदि अन्तरिम पट्टे पर भूमि का अनुदानग्रहीत कलेक्टर द्वारा बांट की तारीख से 3 महीने के भीतर भूमि पर कब्जा न कर सके, तो ऐसा अनुदानग्रहीता अपनी बांट का त्याग किया हुआ माना जायेगा और इस पर वह भूमि इन नियमों के अधीन किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बांट के लिये उपलब्ध होगी।

(नियम 10) बांट का प्रमाण-पत्र:- कलेक्टर या उसके अधीन कोई अन्य अधिकारी जो इसके लिये प्रविष्ट हो, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र (ख) में बांट का प्रमाण-पत्र आवश्यक विवरणों सहित प्रदान करेगा। प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि उसी समय खुदकाश भूमियों के कमिश्नर को भी उसके अभिलेख में रखे जाने के लिये भेजी जायेगी।

(नियम 11) गैर-खातेदारी भोगावधि के नियम अवधि:—गैर-खातेदारी काश्त पर भूमि कलेक्टर द्वारा बांट की तारीख से प्रारम्भ होने वाले 12 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान की जायेगी।

(नियम 12) देय राशियों के भुगतान के लिये समय:—भू-राजस्व लगान और ऐसी अन्य देय राशियों जिनके भुगतान के लिये कलेक्टर द्वारा या सिंचाई के शुल्कों के विषय में सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आज्ञा दी जावे, अनुदानग्रहीत द्वारा ऐसे समय पर जो संबंधित अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाये, भुगतान योग्य होंगी।

(नियम 13) भूमिका मूल्य:—भूमि का मूल्य जो खुदकाश्त के कमिश्नर द्वारा सरकार की मंजूरी से निश्चित किया जाये और ऐसे अन्य शुल्क को ऐसे, मूल्य के साथ देय हों, अनुदानग्रहीता द्वारा व्याजमुक्त रूप में 10 वार्षिक किस्तों में देय होंगे जैसा कि राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण (खालसा करने के) नियम, 1954 के नियम 15 के उप-नियम (2) द्वारा व्यवस्थित है।

(नियम 14) मूल्य कब चुकाया जाय:—भूमि के मूल्य का भुगतान, जिसके अन्तर्गत ऐसे अन्य शुल्क हों जो उसमें सम्मिलित किये जायें या उक्त मूल्य के साथ वसूल किये जाने योग्य माने जायें, ऐसी तारीख को प्रारम्भ होगा जो कि कलेक्टर द्वारा अनुदानग्रहीता को उसके द्वारा की गई बांट की तारीख से ऐसे समय के बाद जो 2 (दो) वर्ष से कम न हो, निश्चित की जाये।

(नियम 15) किस्तों तथा उनके भुगतान का समय:—नियम 14 में निर्दिष्ट देय राशि की किस्तें भू-राजस्व की ऐसी किस्तों के साथ देय होगी, जो सरकार को तत्समय प्रभावशील कानून अथवा व्यवहार के अनुसार देय हो।

(नियम 16) खातेदारी अधिकारों का उपाजन:—वाजिब होते ही सभी किस्तों का पूरा भुगतान करने पर या अनुदानग्रहीता की इच्छानुसार किसी जल्दी आने वाली तारीख को एकमुश्त में भुगतान करने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन जारी की गई साधारण उपनिवेशन शर्तों के अनुसार खातेदारी अधिकार अनुदानग्रहीता के हक में पैदा हो जायेंगे।

नोट:—भाकरा परियोजना क्षेत्र में भूमि की बांट, साधारण उपनिवेशन शर्तों से जो राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जारी की गई हो और तत्समय प्रभावशील हों, जहां तक कि उक्त शर्तें इन नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, शामिल होंगी।

(4) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र:—इस परियोजना क्षेत्र में जागीरदारों को खुदकाश्त के लिये भूमि आवंटन (रियायत) करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पृथक् से नियम (राजस्थान भूमि-सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण) (राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में खुदकाश्त के लिये रियायत) नियम, 1962 बनाये गये हैं जो विज्ञप्ति संख्या एफ० 1(143) राज/ए/57/भाग 2, दिनांक 10-2-63 द्वारा प्रकाशित किये गये। यह नियम तत्काल प्रभावशील होंगे। खुदकाश्त के लिये भूमि आवंटन, भूमि की कीमत तथा उसकी वसूली का तरीका से सम्बन्धित नियम निम्न प्रकार हैं:—

(नियम 6) भूमि का आवंटन:—उपायुक्त (उपनिवेशन) किसी विशिष्ट संवर्ग (

) में उपलब्ध भूमियों को जो सरकार द्वारा खुदकाश्त भूमियों को बांट में लिये आरक्षित रखी जाय, प्राथमिकता के ऐसे क्रम में क्रम बद्ध करेगा जो भूमि की किस्म, सिंचाई की सुविधाओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निश्चित की गई अन्य सहूलियतों के दृष्टिकोण से आवश्यक हो, खुदकाश्त के आवेदकों को (+) मुरब्बों की बांट करेगा।

(नियम 7) आवंटन की सीमा:—प्रत्येक जागीरदार को 2 मुरब्बा भूमि (कुल मिलाकर 50 बीघा) आवंटन की जायेगी जिसमें से एक मुरब्बा की पूरी कीमत वसूल की जायेगी और दूसरे मुरब्बा के लिये केवल सुधार कर वसूल किया जायेगा।

(:) प्रत्येक जागीरदार को केवल 20 बीघा भूमि आवंटन की जायेगी और उसके प्रति उसे केवल सुधार कर देना होगा।

(नियम 8) कब्जा करना:—(1) ऐसे व्यक्ति जिसे उप-आयुक्त (उपनिवेशन) द्वारा नियम 6 के अधीन भूमि की बांट की गई हो (+ —) [इन नियमों से संलग्न प्रपत्र (ख) (बी) में] नोटिस की प्राप्ति पर, अनुदत्त भूमि पर ऐसी बांट के एक महीने के भीतर कब्जा कर लेगा।

(2) यदि आवन्ति बांट की तारीख से तीन महीनों के भीतर आवन्ति भूमि पर कब्जा न कर सके तो ऐसा आवन्ति अपनी बांट का त्याग किया हुआ माना जावेगा और इस पर वह भूमि इन नियमों के अधीन किन्हीं अन्य व्यक्ति को पुनः बांट के लिये उपलब्ध होगी।

(नियम 9) बांट का प्रमाण-पत्र:—उप-आयुक्त (उपनिवेशन) या उसके अधीन अन्य अधिकारी जो इसके लिये प्राधिकृत हों, इन नियमों से संलग्न प्रपत्र (घ) (डी) में कब्जा करने का आवश्यक विवरण सहित प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। प्रमाण की एक प्रतिलिपि उसी समय खुदकाशत भूमियों के कमिश्नर को भी उसके अभिलेख में रखे जाने के लिये भेजी जायेगी।

(नियम 10) आवंटन की मांगावधि (Tenure of allotment):—बांट कब्जा करने की तारीख से जब तक कि एक मुरब्बा की समस्त किश्तों जैसे वह देय हों अथवा आवन्ति की इच्छानुसार किसी जल्दी आने वाली तारीख को एकमुश्त में भुगतान करने तक दूसरे मुरब्बा के लिये जब सुधार कर की पूर्ण राशि चाहे किश्तों में जैसे वाजिब हो अथवा किसी जल्दी आने वाली तारीख को भुगतान कर दी गई है, तक गैर-खातेदारी मांगावधि पर होगा।

(नियम 11) देय राशियों के भुगतान के लिये समय:—भू-राजस्व लगान और ऐसी अन्य देय राशियों जिनके भुगतान के लिये कलक्टर द्वारा या सिंचाई के शुल्को के विषय में सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आज्ञा दी जाय, आवन्ति द्वारा ऐसे समय पर, जो सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निश्चित किया जाय, भुगतान योग्य होगी।

(नियम 12) भूमि का मूल्य:—भूमि का मूल्य जो राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय और ऐसे अन्य शुल्क जो ऐसे मूल्य के साथ देय हों और राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय, देय होगा।

(नियम 13) मूल्य कब चुकाया जाय:—इन नियमों से संलग्न प्रपत्र (ग) (सी) में बांट का "प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के लिये और इसी प्रकार संलग्न प्रपत्र (घ) (डी) में भूमि का कब्जा लेने की आज्ञा के लिये प्रत्येक आवन्ति 50/- रु० अग्रिम राशि के रूप में जमा करायेगा। भूमि की कीमत शुद्ध और सुधार कर और ऐसी अन्य राशियों जो ऐसे मूल्य में सम्मिलित की जाये या उस मूल्य के साथ

(+) शब्द 'मुरब्बा' के स्थान पर शब्द 'भूमि' संशोधित नियम, 1967 में विज्ञप्ति संख्या एफ० 1 (3) एफ० (3) आर/ए/67, दिनांक 29/6/67 से प्रतिस्थापित किया गया।

(:) विज्ञप्ति दिनांक 29-6-67 द्वारा प्रतिस्थापित।

(+ —) विज्ञप्ति संख्या एफ०एल० जी० (4) राज/क/68, दिनांक 9-8-68 द्वारा लोपित किया गया।

वसूल किये जाने योग्य मानी जायें, का भुगतान कब्जा करने के 2 वर्ष पश्चात् से अथवा सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होने की तारीख से जो भी बाद में हों, प्रारम्भ होगा।

(नियम 14) किश्तें तथा उनके भुगतान का समय— नियम 13 में निर्देशित देय राशि की किश्तें राज्य सरकार को देय भू-राजस्व अथवा लगान की किश्तों के साथ देय होगी।

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में इन नियमों के अधीन आवंटन की गई अथवा की जाने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की सरकारी भूमि की कीमत नियम 14 (क) के अनुसार निम्न प्रकार होगी:—

क्र०सं०	मुदा वर्ग	कीमत	
		प्रति बीघा	प्रति मुरब्बा (25 बीघों का)
1.	नाली	800/-	20,000/-
2.	लाइट लूम	675/-	16,875/-
3.	सेन्डी लूम	500/-	12,500/-
4.	अनकमाण्ड	150/-	3,750/-

(2) भूमि की भिन्न भिन्न मुदा वर्ग कि कलक्टर जिसकी परिभाषा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खण्ड (1) में दी गई है] द्वारा स्वीकृत की गई, के प्रत्येक 25 बीघा के मुरब्बे की उप-नियम (1) में बताई गई कीमत निम्न प्रकार किश्तों में वसूल की जायेगी:—

			नाली	लाइट लूम	सेन्डी लूम	अनकमाण्ड
			1	2	3	4
तत्काल 122 प्रतिशत कीमत की	2500	2109	1562.50	718.75
प्रथम	1750	1476	1093.75	303.10
द्वितीय किश्त	1750	1476	1093.75	303.10
तृतीय किश्त	1750	1476	1093.75	303.10
चतुर्थ किश्त	1750	1476	1093.75	303.10
पंचम् किश्त	1750	1476	1093.75	303.10
छठी किश्त	1750	1476	1093.75	303.15
सप्तम् किश्त	1750	1476	1093.75	303.15
अष्टम् किश्त	1750	1476	1093.75	303.15
नवीं किश्त	1750	1476	1093.15	303.15
दसवीं किश्त	1750	1482	1093.75	303.15
योग	20,000	16,875	12,500.00	3,750.00

(3) उप-नियम (1) में बताई गई कीमत पर आवन्तित भूमि पर सुधार कर नहीं लिया जायेगा ।

(4) इन नियमों के अधीन निःशुल्क आवन्तित भूमि पर सुधार कर वसूल होगा ।

(5) आवन्तित द्वारा यदि आवंटन के समय कोई अग्रिम राशि जमा कराई गई हो तो उसका सभायोजन कीमत की 12½ प्रतिशत की वसूली के समय किया जायेगा ।

(6) आवन्तित को समस्त वार्षिक किस्तें सबसे नजदीक उप-कोष में 15 जुलाई को तथा उससे पूर्व जमा करानी होगी और उस तारीख पर चूक में पड़ने वाली किस्तों की रकम पर 9 प्रतिशत की दर से सूद लिया जायेगा ।

(7) असिंचित (अनकमान्ड) भूमि के रूप में आवन्तित भूमि, बाद में किसी समय में सिंचित भूमि हो जाती है तो उस समय के प्रचलित बाजार भाव से कीमत ली जायेगी और यदि सिंचित भूमि के रूप में आवन्तित भूमि उसकी कीमत का पूर्ण रूप से संदाय होने के पूर्व ही सिंचाई विभाग द्वारा असिंचित भूमि के रूप में घोषित कर दी जाती है तो सिंचित भूमि के रूप में उसकी कीमत के संदाय के प्रति दी गई रकम असिंचित भूमि के रूप में उसके लिये संदाय कीमत तथा किस्तों के प्रति सभायोजित की जायेगी । और यदि पूर्व में उससे अधिक कोई राशि संदाय हो चुकी है तो वह आवन्तित को लौटाई जायेगी ।

(8) प्रत्येक आवन्तित की भूमि का आवंटन करने के बाद उप-आयुक्त, उपनिवेशन उससे वसूल की जाने वाली किस्तों की मांग का विवरण पत्र तैयार करेगा और उस मांग-पत्र को कलेक्टर को भेजेगा और फिर यह कलेक्टर का कर्तव्य होगा कि वह आवन्तित से किस्तों की वसूली जब और जैसे देय हो करेगा और उससे सम्बन्धित खाते (लेजर) एवं लेखा पंजिकायें रखेगा । प्रत्येक वर्ष के अन्त पर प्रत्येक आवन्तित से वसूल की गई रकम तथा उसके जिम्मे बकाया में पड़ने वाली देय किस्तों की सूचना उपनिवेशन आयुक्त तथा उपनिवेशन उप-आयुक्त, यदि कोई हों, को भेजेगा ।

(नियम 15) — खातेदारी अधिकारों का उपार्जन :—वाजिब होते ही सभी किस्तों का पूरा भुगतान करने पर या आवन्तित की इच्छानुसार किसी जल्द जाने वाली तारीख को एकमुश्त में भुगतान करने पर, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के अधीन जारी की गई सामान्य उपनिवेशन शर्तों के अनुसार खातेदारी अधिकार आवन्तित के हक में पैदा हो जावेंगे ।

नोट :—इन नियमों के अन्तर्गत भूमि की बांट, सामान्य उपनिवेशन शर्तों, 1955 जहां तक कि उक्त शर्तों इन नियमों के विरुद्ध नहीं हैं, शासित होंगी ।

(5) चम्बल परियोजना क्षेत्र :—इस परियोजना क्षेत्र में जागीरदारान को खुदकाश्ट भूमि रियायतन आवंटन सम्बन्धित पृथक् से कोई नियम नहीं बनाये गये हैं । परन्तु राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री) नियम, 1957 में ही जागीरदारान को खुदकाश्ट के लिये भूमि आवंटन सम्बन्धित प्रावधान रखा गया है एवं नियम 12 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत इन्हें आवन्तन प्राथमिकता में पांचवें स्थान पर रखा गया है । भूमि का मूल्य नियम 16 के अन्तर्गत समय समय पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जावे, देय होगा ।

(6) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र :—(क) मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्रों में भूमि आवंटन सम्बन्धी नियम The Rajasthan Colonization (Medium and Minor Irrigation Project Government Lands Allotment) Rules, 1957 बनाये जाकर विज्ञप्ति संख्या

+ नियम 14 (क) विज्ञप्ति संख्या एफ० एल० जी० (4) राज०/68, दिनांक 1-4-68 से जोड़ा गया और इन नियमों से संलग्न प्रपत्र (ख) हटाया गया ।

एफ० 6 (348) राज०/ए/56/भाग 2, दिनांक 29-10-1957 द्वारा प्रकाशित किये गये इन नियमों के नियम 8 (5) में जागीरदारान को खुदकाशत भूमि का आवंटन भी रखा गया है और इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि की कीमत वह होगी जो राज्य सरकार नियम 12 के अनुसार निर्धारित करेगी ।

(अ) विज्ञप्ति संख्या एफ० 4 (ए) (3) राज/उप/68, दिनांक 20-6-68 से राज्य सरकार द्वारा नये नियम प्रकाशित किये गये । The Rajasthan Colonization Medium and Minor Irrigation Project Government Lands Allotment) Rules, 1963 इन नियमों के नियम 2 से नियम 1957 रद्द (revoke) किये गये परन्तु इस प्रकार नहीं कि रद्द किये गये नियमों के अधीन किये गये किसी कार्य या कार्यवाही पर प्रभाव पड़े । नये नियमों में जागीरदारान को खुदकाशत भूमि आवंटन सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं रखा गया ।

ज—लघु भूमि खण्ड (Small Patches) के विक्रय का लेखा एवं मूल्य की वसूली

17. गंग नहर क्षेत्र:—राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर लैण्ड परमानेन्ट अलॉटमेंट एवं सेल) रूल्स, 1956 विज्ञप्ति संख्या एफ० 6 (36) राज०/वी/जी/आर/1162, दिनांक 13-3-63 प्रकाशित राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 23-5-63 द्वारा संशोधित नियम 3 (2) में यह प्रावधान रखा गया है कि नियम 4 में कुछ भी अंकित होते हुए भूमि के छोटे टुकड़े जो 7 किस्तों से अधिक न हों ऐसे व्यक्ति को बेचे जा सकेंगे । जिसकी भूमि उसी मुरब्बे में स्थित है और यह व्यक्ति वर्तमान बाजार भाव से कुल मूल्य एक ही किस्त में देने को राजी हो :

परन्तु शर्त यह होगी कि उस व्यक्ति द्वारा पहले से धारित भूमि और उपलब्ध लघु भूमि खण्ड मिलाकर उसकी होडिंग 50 बीघा से अधिक न हो जावे और यदि उसी मुरब्बे में एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भूमि धारित है और वह लघु भूमि खण्ड चाहते हैं तो वह भूमि उन्हीं व्यक्तियों के बीच नीलामी द्वारा सबसे अधिक बोली देने वाले को बेची जावेगी । मूल्य का भुगतान जिलाधीश द्वारा निर्धारित अवधि में करना होगा ।

(ख) भाकरा परियोजना क्षेत्र:—राजस्थान उपनिवेशन (भाकरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैण्ड्स अलॉटमेंट एण्ड सेल) रूल्स, 1955 के नियम 22 के लैण्ड (ख) के पश्चात् विज्ञप्ति संख्या एफ० 22 (30) राज/उप/65, दिनांक 19-1-68 प्रकाशित राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग), साधारण, दिनांक 15-2-68 द्वारा निम्नलिखित परन्तुक जोड़े गये हैं :

परन्तु यह 3 एकड़ या उससे कम भूमि के टुकड़े ऐसे काश्तकार को जिसका खेत या भूमि उससे विपता हो आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेची जा सकेगी । यदि एक ही लघु भूमि खण्ड के लिये एक से अधिक हकदार हो तो उनमें आपस में नीलाम बुलाया जाकर सबसे अधिक बोली देने वाले को वह भूमि दे दी जावेगी :

“परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में खण्ड (11) में निर्दिष्ट शर्त लागू नहीं होगी ।”

उपरोक्त दोनों परन्तुक विज्ञप्ति संख्या एफ० 22 (30) राज०/उप/65, दिनांक 24-6-68 से लोपित कर दिये गये और उपरोक्त नियमों के नियम 17 के पश्चात् नया नियम 17-अ जोड़ा गया जो निम्न प्रकार है:—

नियम 17-अ—लघु भूमि खण्ड का आवंटन:—(1) इन नियमों में किसी बात के विपरीत न होते हुए राजकीय भूमि के 10 बीघा से कम के छोटे टुकड़े उसी प्रकार की भूमि के वर्तमान अधिक से अधिक बाजारी मूल्य पर ऐसे काश्तकार को अलॉट की जा सकेगी जो उस लघु भूमि खण्ड के विपते खातेदारी भूमि धारित करता हो और लगातार 5 वर्ष से काब्ज हो ताकि उसके नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य

के नाम से कुल खाता 15 बीघा हो जावे; और लघु भूमि खण्ड का ऐसा मूल्य 2 समान किशतों में यदि लघु खण्ड की भूमि 5 बीघा से अधिक है तथा एक किशत में यदि भूमि 5 बीघा से कम है वसूल किया जावेगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत 15 बीघा के खाता या भू-खण्ड की पूर्ति करने के बाद, और किसी भी नियम जो उस समय लागू हो के अन्तर्गत निर्धारित सीलिंग सीमा को ध्यान में रखते हुए बचत के लघु भूमि खण्ड ऐसे काश्तकार को अलाट किये जा सकेंगे जिसका भू-खण्ड या खेत उनसे विपता हो और उससे उसी क्षेत्र की उसी प्रकार की भूमि के वर्तमान बाजार भाव से मूल्य निया जायेगा और यदि लघु भूमि खण्ड से विपते एक से अधिक खेत या भू-खण्ड हो तो ऐसी भूमि का टुकड़ा उससे विपते खेतों तथा भू-खण्डों के काश्तकारान के बीच नीलामी द्वारा सब से संची बोली देने वाले को बेचा जावेगा और बोली की राशि वर्तमान बाजार भाव जिसे आरक्षित मूल्य माना जायेगा, से अधिक होगी और इस प्रकार अलाट या बेची गई लघु भूमि खण्ड का मूल्य एक ही किशत में देय होगा। "परन्तु यह कि उप-नियम (2) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा बिक्री पर नियम 22 के खण्ड (11) में उल्लेखित शर्तें लागू नहीं होंगी"। नियम 17-अ के उप-नियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु भूमि खण्ड का मूल्य जिस पर उसे आवंटन किया जा सके, निम्न प्रकार विहित की गई है।

क्र० सं०	भूमि का वर्ग	कीमत	अधिसूचना सं० व दिनांक
1.	काली भूमि वर्ग	आरक्षित कीमत की 5 गुणा	एफ० 22 (30) राज/उप/65, दिनांक 17-9-71
2.	असिंचित भूमि	आरक्षित कीमत का 3 गुणा	" "
3.	नाली भूमि वर्ग	आरक्षित कीमत की साढ़े चार गुणा	संख्या सम दिनांक 26-2-71
4.	लाइट लूम	आरक्षित कीमत की साढ़े तीन गुणा	" "
5.	सेन्डी लूम	आरक्षित कीमत की 3 गुणा	" "

लघु भूमि खण्ड की कीमत आवंटन या बेचान की तिथि से एक मास के भीतर देय होगी जैसा कि आवंटन अधिकारी (जिलाधीश) द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ग) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र:—राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना, 1955 पश्चात् के अस्थाई आसामियों व अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1971 के नियम 1 में लघु भूमि खण्डों के आवंटन का प्रावधान रखा गया है जो निम्न प्रकार है:—

नियम 12:—(1) इन नियमों में किसी बात के विपरीत होते हुए भी 5 बीघा (0.82 हेक्टेयर्स) के लघु भूमि खण्ड सीलिंग सीमा को ध्यान में रखते हुए किसी एक स्वत्वधारी (Tenure) काश्तकार को जिसकी धारित भूमि उस लघु खण्ड से विपती हुई है, ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार समय समय पर निश्चित करे आवंटन की जा सकेगी।

(2) यदि एक से अधिक ऐसे काश्तकार लघु भूमि खण्ड को लेने वाले हैं तो उनके बीच लाटरी द्वारा आवंटन किया जावेगा।

(3) ऐसी लघु भूमि खण्ड की कीमत आवंटनी द्वारा आवंटन के आदेश से 15 दिन के भीतर संदाय करनी होगी।

“परन्तु यह कि यदि लघु भूमि खण्ड किसी भूमिहीन व्यक्ति को उसकी जोत (Holding) 25 बीघा तक पूरी करने हेतु आवंटन की जावे तो भूमि की कीमत व उसके संदाय का तरीका वही होगा जो नियम 15 में नियत किया गया है।”

नियम 15 में राज्य सरकार द्वारा भूमि की आरक्षित कीमत बताई गई है और कीमत के संदाय का तरीका कई प्रकार की वार्षिक अथवा अर्द्धवार्षिक किश्तों में रखा गया है। अतः भूमिहीन व्यक्तियों को उनकी जोत (Holding) को 25 बीघा तक पूरी करने हेतु आवंटित लघु भूमि खण्डों का लेखा भूमि आवंटन विक्रय पंजिका अनुच्छेद संख्या 118 में निर्धारित प्रपत्र रा० ले० सं० 20 व 21 में रखा जावेगा।

(घ) चम्बल परियोजना क्षेत्र:—(1) राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या एफ० 6 (465) राजस्व (क)/ख/57/इरि/दिनांक 7-9-60 [प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 22-9-60] द्वारा यह निर्णय प्रकाशित किया गया कि अस्थाई कृषकों को निर्धारित भूमि पर (प्रत्येक को 10 एकड़ की मात्रा में) आवंटन हेतु भूमि आरक्षित करने के उपरान्त अवशेष समस्त उपलब्ध भूमि सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेची जावेगी किन्तु लघु भू-खण्ड जिनका क्षेत्रफल 3 एकड़ से अधिक न हो, की नीलामी निकटवर्ती भूमिधारियों के बीच ही की जावेगी व ऐसे बोली दाताओं में भी प्राथमिकता उस भूमिधारी को दी जावेगी जिसका भूमि क्षेत्र सबसे छोटा हो।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में कृषि हेतु भूमि आवंटन व विक्रय) नियम, 1957 में विज्ञप्ति संख्या एफ० 22 (30) राजस्व/उप/65, दिनांक 19-1-68 [प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (ग), साधारण, दिनांक 15-2-68] से संशोधित करते हुए नियम 21 के खण्ड (ख) में निम्न परन्तुक जोड़ा गया:—

“परन्तु लघु भू-खण्ड जिनका क्षेत्रफल 2 एकड़ या कम हो, को आरक्षित मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य पर समीपस्थ भूमिधारी को आवंटन किया जावेगा किन्तु यदि ऐसे लघु भू-खण्ड के एक से अधिक दावेदार हों तो ऐसे दावेदारों से जो निकटवर्ती भूमि धारित करने हों बोली आमन्त्रित कर उच्चतम बोली दाता को वह लघु भू-खण्ड दिया जावेगा।”

ऐसे मामलों में खण्ड (घ) के उप-खण्ड (II) वर्णित अर्थ लागू नहीं होंगी।

झ—राजस्थान उपनिवेशन (फल व शाक उद्यान अनुबन्ध, 1955)

17. राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 28 व धारा 7 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत राजस्व विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ० 6 (224) राजस्व/ख/59, दिनांक 21-11-56 से [प्रकाशित राजस्थान राज-पत्र, भाग 4 (ग), दिनांक 21-2-57] विविष्ट अनुबन्ध प्रसारित किये गये जिन पर कि उपनिवेशन क्षेत्रों में फल व शाक उद्यानों हेतु भूमि दी जायेगी:—

(1) इन अनुबन्धों के संलग्न अनुसूची में वर्णित प्रावधान सामान्य उपनिवेशन अनुबन्ध, 1955 भी उक्त उद्यानों को प्रदत्त भूमि पर लागू होंगे एवं ये अनुबन्ध उनके अतिरिक्त व पूरक माने जायेंगे।

(2) प्रारम्भ में फल व शाक उद्यानों हेतु भूमि सैर-खातेदारी स्वत्वों पर 15 वर्ष के लिए प्रदान की जावेगी व अनुबन्ध सं० 6 में वर्णित प्रावधानों की पूर्ति होने पर अनुग्रहीता खातेदारी स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(3) फल उद्यानों के वर्ग बजाक 'ए' व 'बी' श्रेणी के क्रमशः 25 व 15 बीघा के होंगे व नियम 10 में वर्णित पद्धति में 'ए' वर्ग के लिये 10,000/- रु०, 'बी' वर्ग के लिए 5,000/- रु० राशि अग्रिम धरोहर के रूप में देय होगी जो अनुबन्धों की अनुपालना तक कलेक्टर द्वारा रोकी रखी जावेगी अतिरिक्त अनुबन्ध सं० 11 से 16 व 24 से 26 में वर्णित लागू होंगे।

(4) शाक उद्यानों के वर्ग ब्लॉक 12-1/2 बीघा के होंगे व प्रति वर्ग ब्लॉक के लिए नियम 18 में वर्णित पद्धति में 1,000/- प्रतिभूति (Security) अथवा प्रतिभू (Surety) के रूप में अग्रिम दी जानी होगी जो कि कलेक्टर द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने तक रोकी जावेगी। अन्य अनुबन्ध सं० 19 से 26 में निर्दिष्ट किये गये हैं।

(5) अनुबन्धों के उल्लंघन अथवा अनुपालना में उपेक्षा पाई जाने पर पैतल्टी सम्बन्धी प्रावधान अनुबन्ध सं० 27 से 29 में निर्दिष्ट किये गये हैं।

(6) खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के पूर्व अथवा बाद यदि यह पाया जावे कि भूमि भिन्न कार्यों हेतु प्रयुक्त की जा रही है तो अनुच्छेद सं० 27 के अन्तर्गत कलेक्टर बिना मुआवजा भूमि पुनर्ग्रहण कर सकेंगे व अनुग्रहीता को बेदखल कर सकेंगे।

(7) कांटेदार तार बाड़ा अथवा पुख्ता चार दिवारी व तालाब का निर्धारित अवधि में निर्माण न करने पर भी अनुबन्ध सं० 28 के अन्तर्गत बिना मुआवजा भूमि कलेक्टर द्वारा अधिग्रहण की जा सकेगी।

(8) कलेक्टर ऐसे निर्माण किसी विशिष्ट एन्जेसी द्वारा कराने का निर्देश भी दे सकेंगे व सम्बन्धी खर्चा अनुग्रहीता से भू-राजस्व की बकाया के रूप में अथवा राजस्व के अगले भुगतान के साथ वसूली हेतु निर्देश कर सकेंगे।

(9) इस उपबन्ध के अन्तर्गत देय भुगतानों की अदायगी समय पर न किये जाने की अवस्था में कलेक्टर प्रति 25 वर्ग बीघा के सम्बन्ध में आठ आना प्रतिदिन तावान आरोपित कर सकेंगे जो अन्य शास्ति के अतिरिक्त वसूली योग्य होगा।

(10) परित्याग के सम्बन्ध में अनुबन्ध 30 में यह प्रावधान किया गया है कि परित्याग अनुग्रहीता द्वारा किये जाने पर निर्माण, वृक्षों आदि का कोई मुआवजा देय नहीं होगा तथापि यदि चार दिवारी, तालाब या भवन निर्माण के पूर्व ही यदि परित्याग किया जावेगा तो कलेक्टर के निर्देशानुसार परित्याग तिथि से दस वर्ष तक का राजस्व अनुग्रहीता द्वारा देय किया जा सकेगा।

(11) अनुबन्ध सं० 6, 7 व 8 में किसी बात के होते हुए भी उद्यान हेतु भूमि सार्वजनिक नीलाम, द्वारा अनुबन्ध सं० 30 के अन्तर्गत दी जा सकेगी व राजस्थान उपनिवेशन (भाकरा परियोजना राजकीय भूमि आवंटन व विक्रय) नियम, 1955 में वर्णित नियम 20, 21 व 22 में वर्णित प्रावधान ऐसे विक्रयों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में (*Mutatis mutandis*) रूप में लागू होंगे।

विक्रय की पुष्टि होने पर व कुल मूल्य राशि के भुगतान होने पर खातेदारी स्वत्व प्रदान करने के रूप में प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जावेगा।

APPENDIX 13

[See para 125 (2)]

REVENUE COLONISATION DEPARTMENT

No. F. 4(9) Rev./Col./67

Dated, Jaipur, — July, 1970.

To

THE COLLECTOR,
GANGANAGAR.

Subject:—Allotment of land to Granthies and Maulvies.

SIR,

I am directed to refer to your letter No. F. 12 (11) (23) Rev./66/4917, dated 9-4-1970 on the above noted subject and to state that the matter was gone through. There seems no contradiction in order issued vide this Department letter No. F. 3 (281) Rev./Col./67, dated 17-6-1969 and letter of even number dated 24-3-1970. The position, therefore, as it stands today is that such of lands which have been entered in the name of Granthies even though belonging to Gurdwaras can be allowed to be retained by the Granthies on payment of market price by them. The decision taken by the State Government and announced by the Chief Minister in the Assembly on 23rd March, 1970 is reproduced below:—

“Land under Gurdwaras has, in some cases, been recorded in the Khatedari of Granthies. Such lands were attached with religious institutions and by recording them in the name of Granthies, these institutions have been deprived of their annual income. Orders are being issued to ensure that such lands in future are recorded in the Khatedari of the religious institutions only. For such cases in the past it has been decided that the Granthies would pay to the Government, the market price of the land entered in their Khatedari.”

Yours faithfully,

Assistant Secretary to
the Government.

APPENDIX 13
 [See para 125 (1)]

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
 REVENUE COLONISATION DEPARTMENT

No. F. 5 (9) Rev./Col./57

Dated the 24th March, 1970.

To

THE COLONISATION COMMISSIONER,
 BIKANER.

ALL COLLECTORS,
 SHRI GANGANAGAR.

Subject:— *Village Service Grants.*

According to section 193 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955) it has been provided that if the Collector declares that the services rendered by a village servant are no longer required, such village servant shall become a Khatedar tenant of his village service grant and shall be liable to pay rent accordingly. Provisions relating to village servants are also contained in the Rajasthan Land Revenue Act, 1965 (Act No. 15 of 1956). According to section 42 vacancies are to be filled up and a register of village servants is to be kept according to section 43 of the Land Revenue Act.

For the non-colony areas of Rajasthan an order was issued by the Revenue Department vide No. F. 2 (682) Rev./B/1962, dated 1-5-69.

As regards the village servants of Ganganagar District another order was issued vide letter No. F. 2 (682) Rev./B/62, dated 5th June, 1965. In supersession of all these previous order Government are now pleased to issue the following instructions with regard to the village service grants:—

1. *For non-colony areas.*—The Collectors should declare that the services rendered by village servants within their district are no longer required. This should be done in respect of all village servants for whom no such declarations have been made according to the previous orders of this Department. Compliance Report may be made to the Government by the end of April, 1970. The effect of these declarations will be that the village service grants and shall be liable to pay rent. This will be without prejudice to the provisions of the law on the imposition of ceilings and land beyond the ceiling limits will have to be surrendered.

2. *For colony areas.*—In the colony areas of Rajasthan the Collectors should immediately make the declaration under section 193 of the Rajasthan Tenancy Act and report to the Government by the end of April, 1970. As all lands in colony areas are disposed of under special conditions and at a price the village service grant lands shall be allotted to the village servants as laid down below:—

- (a) The village servant shall become a Khatedar tenant of the village service grant up to 25 bighas without payment of any price but subject to the conditions of the particular colony under the Colonisation Act/Rules.
- (b) If any village service grants exceeds 25 bighas village servant shall become a Khatedar tenant of land in excess of 25 bighas only on payment of the reserve price and subject to the other conditions applicable to the colony under the Colonisation Act/Rules.

- (c) The village servants who are conferred rights inspect of their village service grants shall be subject to the law relating to the imposition of ceilings and shall have to surrender all lands beyond the ceiling limits.

According to the Rajasthan Land Revenue Act a register of village servants is required to be kept under section 43 and vacancies are to be filled up according section 42. In this connection an order was issued on 15-10-1969, that all village service grants made up to date of merger (formation of Rajasthan) may be recognised and if the mutation of the grant has not been done in the name of legal heir, it may be done now according to Rules. Action according to those instructions should be taken and compliance reported.

As regards the grants made after the formation of Rajasthan of vacancies should have been unfilled up after proper scrutiny at the level of the Collector, if any new appointments of village servants have been made they should also be treated like old village servants.

The receipt of this letter may acknowledged.

Sd/-
(K. L. Baraya),
Revenue Secretary to the
Government.

परिशिष्ट (13), अनु० सं० 124 (3)

सनद

[राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) अर्तें, 1955 की शर्त 8 के अधीन]

राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) अर्तें, 1955 की शर्त 9 के अधीन श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी/पुत्री आयु

जाति निवासी तहसील

जिला को निम्नलिखित भूमियों में एतद् द्वारा खातेदारी भू-धारण (टिनेन्सी) अधिकार प्रदान किये जाते हैं।

वर्ग खसरा सं० क्षेत्रफल की विविधियां

क्र०सं०	गांव/चक का नाम	क्षेत्रफल की विविधियां			टिप्पणियां	
		सिंचित किला सं०	असिंचित किला सं०	मूद्रा वर्गीकरण योग		
1	2	3	4	5	6	7

यह सनद एतद् द्वारा आज दिनांक _____ को मेरे हस्ताक्षर और मोहर से जारी की जाती है।

स्थान
मोहर

कलेक्टर के हस्ताक्षर
राज्यपाल के आदेश से

029. भू-राजस्व

(क) भू-राजस्व/कर—

1. सरचार्ज के अतिरिक्त भू-राजस्वकी सकल प्राप्तियां
2. भू-राजस्व पर सरचार्ज
सकल प्राप्तियां
घटाइये—प्रत्यर्पण, और
शुद्ध प्राप्तियां

(ख) भूमियों पर स्थानीय कर तथा उप-कर
घटाइये—प्रत्यर्पण

(ग) भूतपूर्व जमींदारी भू-संपत्तियों के प्रबंध से होने वाली प्राप्तियां

1. जागीर भूमियों से भू-राजस्व
2. उपहार
3. मातमी और हुक्मनामा
4. भूमि सुधार तथा जागीरों के पुनर्ग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पुनर्ग्रहीत जागीर से आमदनी
घटाइये—प्रत्यर्पण

(घ) सरकारी भू-संपत्तियों के विक्रय से होने वाली प्राप्तियां
घटाइये—प्रत्यर्पण

(ङ) बंजर भूमि के विक्रय से आय और भूमि कर की वसूली

(च) सेवाओं के प्रति भुगतानों का संग्रहण:—

- i. पूर्व राजस्थान में पुनर्ग्रहीत जागीरें
- ii. अन्य

(छ) अन्य

1. खेतों के एकीकरण से शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां
2. अधिक भुगतानों की वसूली
3. अवकाश वेतन का अंशदान
4. भूमि पंजीयन शुल्क
5. अप्राधिकृत अभिधारण के मामलों को नियमित करने से हुई प्राप्तियां
6. कृषि भूमि को आबादी में बदलने की फीस
7. अन्य मद

049. ब्याज

गा—अन्य ब्याज की प्राप्तियां

धा—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ब्याज प्राप्तियां

(क) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से ब्याज:

1. जलप्रदाय योजनाएं
2. कृषि विभाग
3. सोडियम सल्फेट शाखा
4. बहु-प्रयोजन नदी योजनाएं
5. सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)
6. अन्न प्रदाय योजनाएं
7. नमक के व्यापार की योजना
8. राजकीय ऊन मिल, बीकानेर
9. जयपुर दुग्ध वितरण योजना
10. ऊन के व्यापार की योजना
11. फारेस्ट्स कूप्स की विभागीय प्रबंधन योजना

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों से ब्याज:

1. राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल
2. राज्य पथ परिवहन निगम को ऋण
3. केशोरायपाटन शूगर मिल्स
4. हाउसिंग बोर्ड

(ग) स्थानीय निकायों से ब्याज:

1. नगरपालिकाएं तथा नगर निगम
2. जिला तथा अन्य स्थानीय निधि समितियां
3. पंचायत राज संस्थायें

(घ) सहकारी संस्थाओं से ब्याज:

1. राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड
2. अन्य संस्थायें

(ङ) ऋणों से ब्याज :

1. दुर्भिक्ष अग्रिमों से ब्याज
2. साधारण तकाबी अग्रिमों से ब्याज
3. अन्य ऋणों से ब्याज

(च) रोकड़ शेषों के विनियोजनों पर प्राप्त ब्याज

(छ) अन्य प्राप्तियां:

- i. भूमिधारकों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को ऋणों से ब्याज
- ii. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण अग्रिम पर ब्याज

iii. विस्थापित व्यक्तियों को ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज:—

1. पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित
 2. बर्मा से लौटे हुए विस्थापित
 3. उद्योग एवं उद्योगपतियों के ऋणों पर ब्याज
4. ऋण-पत्रों पर ब्याज
5. गृह योजना हेतु ऋण पर ब्याज:—
1. कम आय वाले वर्ग के निमित्त गृह योजना
 2. मध्यम आय वाले वर्ग के निमित्त गृह योजना
6. राज्य कर्मचारियों के ऋणों पर ब्याज :—
1. गृह निर्माण के लिये ऋण
 2. मोटर गाड़ियों के क्रय के लिये अग्रिम
 3. अन्य सवारियों के क्रय के लिये अग्रिम
 4. अन्य अग्रिम
7. अन्य विविध ऋणों पर ब्याज :—
1. अलवर तथा भरतपुर जिलों के विस्थापितों की खेती हर हमीन की कीमत पर ब्याज
 2. वृत्तिहीन सवर्णकारों को तकावी ऋण पर ब्याज
 3. राजस्व की बकाया पर ब्याज
 4. अन्य प्राप्तियां

022. कृषि आय पर कर

(क) कर का संग्रहण :—

1. सकल प्राप्तियां
2. घटाइये-प्रत्यर्पण
3. शुद्ध प्राप्तियां

133. बहुयोजन नदी परियोजनाएं

(क) भाखरा बांध सिंचन शाखा

1. राजस्थान में प्राप्तियां:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री

5. अन्य प्राप्तियां :—

1. लगान
2. अर्थदण्ड
3. विविध

(ख) राजस्थान नहर:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि सुधार कर
6. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) लगान
- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(ग) उपनिवेशन योजनाएं :—

1. राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि के अस्थायी आवंटन से प्राप्तियां
2. अन्य विविध प्राप्तियां

(घ) जवाई नहर:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां :—

- (1) लगान
- (2) विविध

(ङ) भेजा परियोजना :—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां :—

- (1) लगान
- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(ट) पार्वती परियोजना :—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां :—

- (1) लगान

- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(ठ) गुड़ा परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) लगान
- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(ड) मोरल परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. घरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) लगान
- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(ढ) पश्चिमी बनास परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. नहरी रोपण से बिक्री
3. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) विविध

(ण) अलनिया परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. नहरी रोपण से बिक्री
3. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) लगान
- (2) अर्थदण्ड
- (3) विविध

(त) बल्लभ नगर परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. नहरी रोपण से बिक्री
3. अन्य प्राप्तियां:—

- (1) लगान
- (2) विविध

(थ) बड़गांव परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. नहरी रोपण से बिक्री
3. अन्य प्राप्तियां:—
(1) लगान

(द) ओराई परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. नहरी रोपण से बिक्री
3. अन्य प्राप्तियां:—
(1) लगान

(ध) गलवा परियोजना:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री

खा-सिंचन परियोजनाएं (अवाणिज्यिक)

(क) अन्य सिंचाई परियोजनाएं:—

1. सिंचाई कार्य हेतु जल की बिक्री
2. धरेलू कार्य हेतु जल की बिक्री
3. अन्य कार्य हेतु जल की बिक्री
4. नहरी रोपण से बिक्री
5. अन्य प्राप्तियां:—
(1) लगान
(2) अर्थदण्ड
(3) विविध
(4) अन्य मद

जोड़िये:—गुजरात सरकार से कड़ाना परियोजना संबंधित प्राप्तियां दीर्घ शोर्षक—133 योण
068—विविध सामान्य सेवायें:—

(क) स्टेट लॉटरीज

(ख) निःस्वामी निक्षेप

(ग) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय:—

1. गंग नहर के क्षेत्र में भूमि का विक्रय
2. भाखरा नहर के क्षेत्र में भूमि का विक्रय
3. चम्बल योजना क्षेत्र में भूमि का विक्रय
4. सेच्य क्षेत्र में अनाधिकार प्रदेश कर्तव्यों को भूमि का अनाटमट
5. राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि विक्रय
6. बीकानेर में सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों में माधिकाना व मोरूसी अधिकारों के विक्रय से आय
7. अन्य क्षेत्रों में भूमि का विक्रय
8. भाखरा क्षेत्र में मंडियों के लिये भूमि का विक्रय
9. कोटा, बारां, अन्ता आदि में मंडियों के लिये भूमि का विक्रय
10. राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों के लिये भूमि का विक्रय

11. भरतपुर व अलवर जिलों में विस्थापित खेती हर जमीन का विक्रय

1. गैर दावेदार विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का विक्रय
2. स्थानीय व्यक्तियों को भूमि का विक्रय
3. बंजर भूमि का विक्रय

(घ) विनिमय से लाभ

(ङ) अन्य प्राप्तियां:-

1. पुराने स्टोर्स व सामानों का विक्रय
2. नगरीय निर्धारण प्राप्तियां
3. अन्य विविध प्राप्तियां

705—कृषि हेतु ऋण:-

(क) बीज

(ख) खाद एवं उर्वरक

- (i) पंचायती राज संस्थाओं को ऋण
- (ii) नगरपालिकाओं को ऋण
 - (1) खाद परिवहन
 - (2) विशेष विकास कार्यक्रम
- (iii) जिला एवं अन्य स्थानीय निधि समितियों को ऋण
 - (1) स्थानीय खादों को संसाधनों का विकास

लघु शीर्षक (ख) योग

(ग) उद्यान

1. पंचायती राज संस्थाओं को ऋण
 - (i) फल विकास
 - (ii) कृषकों को अग्रिम
 - (1) फल विकास

(घ) विपणन

- (1) मार्केट समितियों को ऋण

(ङ) अन्य कृषि ऋण

1. पंचायती राज संस्थाओं को ऋण
 - (i) तकाबी अग्रिम
 - (ii) कृषकों को ऋण
 - (1) तकाबी ऋण राजस्व विभाग के माध्यम द्वारा
 - (2) विविध अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं
 - (3) भूमि विकास
 - (4) कृषि उपकरण
 - (5) बैलों व ऊंटों के लिये ऋण
 - (6) विविध कार्यक्रम
- बैलों के क्रय हेतु ऋण
- iii. एकीकरण शुल्क कृषि भूमि के विकास हेतु ऋण (केन्द्र से अर्थ प्रबंधित)

695. अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये ऋण:

(ख) प्राकृतिक विपत्ति हेतु सहायता:-

1. पंचायती राज संस्थाओं को ऋण—दुर्भिक्ष अग्रिम
2. पंचायती राज संस्थाओं को ऋण अग्नि आदि से पीड़ितों के लिये
3. कृषकों को ऋण—दुर्भिक्ष अग्रिम
4. अग्नी आदि से पीड़ितों को ऋण
5. सहायता आयुक्त के माध्यम द्वारा चारा आदि के लिये गोसेवा संघ को ऋण

राजस्थान एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स (तकावी) नियम, 1958प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ:—(1) यह नियम राजस्थान एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स (तकावी) नियम, 1958 कहलायेंगे।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह राजस्थान गजट में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे।

2. निर्वाचन:—इन नियमों में, जब तक विषय अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(1) "एक्ट" से तात्पर्य राजस्थान एग्रिकल्चरिस्ट्स लोन्स एक्ट, 1956 (राजस्थान एक्ट संख्या 1, सन् 1957) से होगा।

(2) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों के साथ लगे प्रपत्र से होगा।

(3) "धारा" से तात्पर्य एक्ट की धारा से होगा।

(4) "तकावी" अथवा "तकावी उधार" से तात्पर्य एक्ट के अधीन मंजूर किये गये उधार से होगा।

3. तकावी उधारों के वर्ग:—(1) तकावी के दो वर्ग होंगे:—

(1) वर्ग 1 अर्बर (2) वर्ग 2,

(2) एक्ट की धारा 4 के खण्ड (1) के अधीन किसी भी सुधार, जैसा कि धारा 3 के खण्ड (5) में परिभाषित है, के लिये मंजूर किये गये तकावी उधार वर्ग 1 में तकावी उधार होंगे।

(3) धारा 4 के खण्ड (2) के अधीन मंजूर किये गये तकावी वर्ग 2 के तकावी उधार होंगे।

4. (1) प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर तक, प्रत्येक कलेक्टर उस डिविजन के कमिश्नर को सामान्य तकावी उधारों की संभावित आवश्यकताओं के अनुमान प्रस्तुत करेगा।

(2) कमिश्नर, आवश्यक परिनिरीक्षा करने के पश्चात् अपनी प्रस्थापनायें राजस्व बोर्ड को अनुदान समेकन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(3) कुल बजट अनुदान के बारे में वित्त विभाग से सूचना प्राप्त हो जाने पर बोर्ड प्रावहित धनराशि का प्रत्येक डिविजन के लिये पृथक पृथक पटवारा करेगा और तत्पश्चात् डिविजन का कमिश्नर उस प्रवाहित राशि को विभिन्न जिलों के लिये उप-विभाजित करेगा।

(4) कमिश्नर वर्ष के दौरान में किसी भी समय आवंटित राशियों को अपने डिविजन के भीतर एक जिले से दूसरे जिले को परावर्तन कर सकेगा।

5. (1) कलेक्टर, अपने जिले के लिए आवंटित राशि की सूचना कमिश्नर से प्राप्त होने पर प्रत्येक सब-डिविजन तथा तहसील के लिये आवंटन करेगा।

(2) कलेक्टर किसी आवंटित राशि को एक सब-डिविजन या तहसील से दूसरे सब-डिविजन या तहसील को अथवा प्रारम्भतः एक वर्ग के उधारों के लिये अभिप्रेत अभिहस्तांकनों में से दूसरे वर्ग के उधारों के लिये परावर्तित कर सकेगा।

6. यदि किसी वर्ष के लिये स्वीकृत आवंटित राशि से अधिक उधारों के लिये विशिष्ट मांग हो तो कलेक्टर, किसी भी समय, अतिरिक्त अनुदान के लिये अपनी आवश्यकता के विषय में कमिश्नर को प्रतिवेदन कर सकेगा।

7. तहसीलदार समस्त उधारों के लिये चाहे वे मंजूर करने की उसकी शक्ति में हो अथवा उसके बाहर हों, संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

ब्याज की दर और प्रतिगणना

8. उधारों का भुगतान और मूलधन की वसूलियां सदैव पूरे रूपों में की जायेगी।
9. ब्याज, भुगतान के लिये, उधार के प्रतिदान के लिए नियत प्रत्येक दिवस के साथ ही वाजिब होगा। ब्याज सभी उधारों की दशा में, कम होती हुई शेष राशियों पर 3-1 8% प्रति वर्ष की दर से लगाया जायेगा।
10. उधार पर ब्याज दिये जाने के महीने के लिये लगता है किन्तु प्रतिदान के महीने के लिये नहीं। ब्याज की प्रतिगणना मासिक आधार पर निकटतम नये पैमे ता की जायेगी। ब्याज की प्रतिगणना करने में, 15 दिन या उससे कम दिन की अवधि दिनों में नहीं ली जायेगी और 15 दिन से अधिक अवधि पूरा महीना गिनी जायेगी।

राजस्व अधिकारियों को तकावी-उधार मंजूर करने की शक्तियां

11. (1) सामान्य तकावी उधार देने के लिये निम्नलिखित शक्तियां मौपी जाती हैं:—

उधार का प्रयोजन	कलेक्टर ₹० तक	सब-डिवि- जनल आफि- सर ₹० तक	तहसीलदार ₹० तक
1	2	3	4

वर्ग 1 के उधार

1. पक्के कुओं का निर्माण	3,000	1,500	700
2. कच्चे कुओं का निर्माण	1,000	500	250
3. कच्चे कुओं का पक्के कुओं में परिवर्तन	2,000	1,000	500
4. ऐसे कुओं की मरम्मत जो उपयोग में न आ रहे हों	2,000	1,000	500
5. ऐसे कुओं की मरम्मत जो काम में आ रहे हों	1,000	500	250
6. कुओं को गहरा या उनमें संछिद्रण (बोरिंग) किया जाना	1,000	500	100
7. भूमि के तटबंध का निर्माण	5,000	2,000	1,000
8. भूमि के तटबंध की मरम्मत	1,000	500	200

वर्ग 2 के उधार

1. बीज का क्रय	500	250	100
2. खाद का क्रय	500	250	100
3. बैलों, ऊंटों और भैसों का क्रय	1,000	500	250
4. चारे का क्रय	500	250	100
5. अरहटों और कृषि उपकरणों का क्रय	1,000	500	250
6. ट्रैक्टर का क्रय	5,000
7. अकाल तकावी	500	..	250

(2) जहां किसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित उधार की राशि कलेक्टर की शक्तियों में वर्णित राशि से अधिक हो, तो वह मामला मंजूरी के लिये कमिश्नर को प्रस्तुत किया जायेगा।

उधार हेतु आवेदन-पत्र

12. (1) उधार हेतु आवेदन-पत्र किसी राजस्व अधिकारी को जो तहसीलदार से निम्न श्रेणी का न हो, छपे हुए प्रपत्र 1 पर जो कि तहसील से निःशुल्क दिया जायेगा अथवा सादे कागज पर बिना किसी स्टाम्प लगाये प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) यदि आवेदन-पत्र सादे कागज पर प्रस्तुत किया जाय, तो उसमें उन सभी मुद्दों के विषय में सूचना होगी जो प्रपत्र 1 में वर्णित है।

(3) जहां मौखिक आवेदन किया जाय, तो सुनने वाला पदाधिकारी उसे लेखाबद्ध करवायेगा में प्रपत्र 1 में दिया हुआ व्यौरा भरेगा।

13. प्रत्येक आवेदन-पत्र में आवेदन का नाम, जाति, पिता का नाम, वृत्ति (प्रोफेशन) और निवास-स्थान, उधार की राशि जिसके लिए आवेदन किया गया है, प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित है, प्रतिदान के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रतिभूति का प्रकार, और, वर्ग 1 के उधारों की दशा में, उस कार्य का प्रकार और वर्णन जिसके लिए उधार अपेक्षित है तथा सुधारी जाने वाली भूमि में आवेदक का अधिकार और हित वर्णित होंगे।

14. आवेदक इस आशय के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि उसके आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्य, जहां तक उसे ज्ञान और विश्वास है, सच है, और यदि उसे उधार दिया जाय, तो वह इन नियमों का सर्व-रूपेण अनुवर्तन करेगा तथा इनमें दिये हुए निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा। घोषणा-पत्र, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अधीन वाद-पत्रों के सत्यापन के लिए दी हुई रीति से सत्यापित किया जायेगा।

15. जब बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने की संभावना हो (नियम 35 से तुलना कीजिये), सवितरण-अधिकारी आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उधार वितरण के लिये सुविधाजनक केंद्र नियत करेगा।

16. ऐसे सभी व्यक्तियों के आवेदन जो संयुक्त उत्तरदायित्व पर उधार लेने की इच्छा प्रकट करे, एक ही आवेदन-पत्र पर लेखबद्ध किये जायेंगे किन्तु प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपेक्षित विशिष्ट राशि और वास्तविक प्रयोजन, जिसके लिये उसे उधार की आवश्यकता है, उसके नाम के आगे लिखे जायेंगे (एक्ट की धारा 9 से तुलना कीजिए)।

आवेदन-पत्रों की प्राप्ति पर प्रक्रिया

17. (1) यदि अधिकारी, जिसको आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाय, की प्रकटता (प्राइमा फेसी) राय हो कि वह ग्रहण किया जाना चाहिये, तो वह स्वयं ऐसी जांच जो वह :—

- (1) आवेदन की हैसियत,
- (2) प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के प्रकार और मूल्य,
- (3) यदि प्रतिभूति के रूप में भूमि हो, तो उस पर होने वाले अधिकार (ऐनकम्प्रेन्सेज)
- (4) वर्ग के उधार के लिए प्रस्तुत आवेदन-पत्र की दशा में प्रस्तावित कार्य की संभाव्यता, उस पर संभावित खर्चा, अनुमानित मूल्य और उपयोगिता तथा उसको निष्पादित करने के आवेदक के अधिकार, के विषय में आवश्यक समझे, करेगा या किये जाने का प्रबंध करेगा।

(2) जांच की रिपोर्ट प्रपत्र 2 में तैयार की जायेगी।

18. उधार दिये जाने से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही प्रत्यन्त शीघ्रता से और उचित सावधानी से की जायेगी। यह महत्वपूर्ण है कि शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक जांच की जानी चाहिये और मांगी गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तुत की जानी चाहिये।

प्रस्तुत की गई प्रतिभूति का मूल्यांकन

19. उधार केवल उस दशा में दिया जायेगा जब कि वह आवेदक की पर्याप्त मूल्य की संपत्ति द्वारा प्रतिभूत हो और ऐसा न किये जाने की स्थिति में आवेदक से तथा अन्य सदाभ वैयक्तिक प्रतिभू (रियोरिटोज) से प्रतिभूति-बंधपत्र प्राप्त किया जाकर सुरक्षित किया हुआ होना चाहिये। वे आवेदक के साथ ही उधार को चुकाने के लिये संयुक्त रूप में और पृथक पृथक उत्तरदायी होंगे।

20. जहां तक प्रतिभूति का प्रश्न है, उधार देने वाले अधिकारी को उधार के लिये प्रतिभूति की पर्याप्तता के विषय में सन्तुष्ट किया जाना चाहिये। तथापि इस परन्तु के अधीन रहते हुए, वैयक्तिक प्रतिभूति भी स्वीकार की जा सकेगी।

21. किसी भी प्रकार की अचल-संपत्ति प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जा सकेगी।

22. गिरवी रखी गई संपत्ति पर अभिभार पटवारी और अम्बरदार से और साथ ही उप-पंजीयक से भी सुनिश्चित किये जायेंगे। सभी अभिभारों की राशि कल्याणद्व (हाईपोथिकॉटेड) संपत्ति के मूल्यांकन में से कम कर दी जायेगी। प्रस्तुत की गई प्रतिभूति का मूल्य दिये गये उधार की राशि से कम से कम 1/3 अधिक होगा।

23. तकावी उधार लेने वाले आसामियों को प्रतिभूति बंध-पत्र स्टाम्प न लगे हुए सादे कागज पर लिखने की अनुमति दी जा सकेगी।

24. ऐसे व्यक्ति, जिसने स्वयं उधार लिया है या जिस पर लगान बकाया निकलता हो, की प्रतिभूति स्वीकार नहीं की जायेगी।

परन्तु विशेष मामलों में, उधार देने वाला अधिकारी, लेखवद्ध किये जाने वाले कारणों पर, किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने उधार लिया है, की अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने उधार लिए हैं, की प्रतिभूति मंजूर कर सकेगा, यदि ऐसा अधिकारी संतुष्ट हो कि उधार देना दुषि कार्यों के हित में है और उधार किसी कंठिनाई बिना चुका दिया जायेगा।

उधारों की मंजूरी

25. जब जांच पूरी हो जाय तो, ऐसा अधिकारी, जिसको आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया हो, या तो स्वयं आज्ञा पारित करेगा या उधार देने के लिए सशक्त अधिकारी को, अपनी सिफारिश सहित कागज भेज देगा।

26. (1) ऐसे मुद्दे, जिन पर उधार देने वाले अधिकारी द्वारा विचार किया जाना है, निम्नांकित हैं:—

- (1) उद्देश्य जिसके लिए उधार मांगा जाता है,
- (2) प्रस्तुत की गई प्रतिभूति,
- (3) प्रतिदान के लिए नियत की जाने वाली किश्त और तारीख,
- (4) प्रतिदान की रीति,
- (5) प्रस्तावित सुधार कार्य को अनुमानित लागत और वह राशि जिसकी व्यवस्था आवेदक अपने व्यक्तिगत साधनों से अथवा आरंभिक अम के रूप में करने को तैयार है, और
- (6) आया आवेदक वास्तविक रूप में कृषक है।

(2) उधार दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र निम्नलिखित रीति से निभटाये जायेंगे:—

- (1) जो व्यक्ति पर्याप्त प्रतिभूति नहीं दे सकते हैं, उनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये जाने चाहिये।

(2) आय-कर देने वाले व्यक्तियों को उस वर्ग में जिसमें वे हैं, ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा जो आय-कर नहीं देते हैं, नीची प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(3) एक ही वर्ग को दो श्रेणियों, अर्थात्—

1. आय-कर देने वाले, और
2. आय-कर नहीं देने वाले,

के व्यक्तियों के बीच आवेदन-पत्रों की प्राप्ति का प्रारूप हो एकमात्र मानदंड होना चाहिये। यदि उधारों की मांग किसी वर्ग के लिये रक्षित राशि से कम हो, तो शेष पहले वर्ग 1 को स्थानान्तरित किया जाना चाहिये, और यदि उसकी उस वर्ग के लिये आवश्यकता न हो, तो वह शेष वर्ग 2 को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

(4) दी जाने वाली राशि संवितरण अधिकारी द्वारा उन अधिकतम और न्यूनतम सीमाओं के बीच निश्चित की जानी चाहिये जो किसी योजना के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो। यदि कोई उधारग्रहीता ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति, जिसके आधार पर, निर्धारित न्यूनतम राशि का दिया जाना न्यायोचित ठहराया जा सके, नहीं दे सकता हो, तो उस दशा में न्यूनतम राशि को कम करने के बजाय उसका आवेदन-पत्र अस्वीकृत करना बांछनीय होगा।

(3) प्राथमिकता के नियम के अपवाद:—निम्नलिखित मामले प्राथमिकता के सामान्य नियम के अपवाद माने जायेंगे—

- (क) ट्रैक्टरों के क्रय के लिए उधार ऐसे किसान को, जिसके पास 30 एकड़ से कम भूमि हो, नहीं दिया जाने चाहिए।
- (ख) ऐसे उधारग्रहीता को, जो किसी उधार का पूर्णतः या अंशतः दुरुपयोग करे, उस तारीख से जिसको कि उसके द्वारा दुरुपयोग किया जाना सिद्ध हो, पांच वर्षों की अवधि तक कोई तकावी-उधार नहीं दिया जाना चाहिये।
- (ग) ऐसे उधारग्रहीता की जिसने किसी तालाब, बांध या तटबंधन के निर्माण के लिए या ट्रैक्टर या पंपिंग सेट के क्रय के लिए पहले ही उधार प्राप्त कर लिया है, कोई उधार नहीं दिया जाना चाहिए, यदि वसूली के लिए देय किसी किरात का भुगतान उसमें बकाया हो।
- (घ) एकट के अधीन उधारों के वितरण में ऐसे व्यक्ति जो जिसको किसी प्रकार का तकावी-उधार नहीं मिला है, ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा जिसको ऐसा तकावी-उधार मिल चुका है, अधिमान (प्रिफरेंस) दिया जाना चाहिए।

27. उधार देने वाला अधिकारी अपने आपको संतुष्ट करेगा कि उधार उसी सद्भावी उद्देश्य के लिए जिसके लिए वह मांगा जाता है, अभिप्रेत है, तथा, वर्ग 1 के उधार की दशा में, यह कि कार्य से सारभूत सुधार संभावित है तथापि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आवेदक द्वारा धनराशि का खर्च बदले में संतोषजनक प्राप्ति की उचित प्रत्याशा बिना किये जाने की संभावना नहीं है, और, इस लिए प्रत्येक मामले में प्रस्तावित सुधारों के परिणामों की विस्तृत और दीर्घकालीन जांच आवश्यक नहीं भी हो सकती है।

28. यह तथ्य कि आवेदक के जिम्मे लगान या पूर्व उधार के विषय में भुगतान बकाया है, स्वतः उधार के लिए मना करने का पर्याप्त कारण नहीं है, यदि प्रस्तुत की गई प्रतिभूति अन्यथा संतोषजनक हो तथापि ऐसे मामलों में उधार यदि जिस उधार के लिए आवेदन किया गया है, वह 1,000 रुपये की सीमा के अंतर्गत हो तो कलेक्टर की मंजूरी बिना, और अन्य सब स्थितियों में कमिश्नर की मंजूरी बिना नहीं दिया जा सकेगा।

29. उधार देने की किश्तें—बड़े उधार सामान्यतया दो या अधिक किश्तों में दिये जाने चाहिए और दूसरी व पश्चातवर्ती किश्तें पूर्व किश्त की राशि के लगभग व्यय होने पर दी जायेगी। कार्य का पूरा करने के लिए अनुचित रूप में कम अवधि स्थिर किये जाने का, किश्तों की अधिक संख्या स्थिर किये जाने का अथवा किश्तें दी जाने के लिए अनुपयुक्त तारीख स्थिर किये जाने का निवारण होना चाहिए।

30. बीज और खाद हेतु उधारों की दशा में, कुल राशि सामान्यतया उस फसल, जिसके लिए उधार दिया जाये, के ठीक बाद में पूर्णतः प्रतिदेय होनी चाहिए। कच्चे कुम्भों के लिए उधार का सामान्यतया दो वर्षों में प्रतिदान किया जायेगा। वर्ग 2 के सभी उधारों की दशा में प्रतिदान सामान्यतया भू-राजस्व या लगान के भुगतान के लिए स्थिर की गई तारीखों पर अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में किये जाने चाहिए।

टिप्पणी—फसल न होने की दशा में या यदि फसल के पश्चात् वसूलियों के लिए दबाव डालना अन्यथा अवांछनीय फसल हो तो मांग का पूर्णतः या अंशतः निवन्धन (धाम) उस अधिकारी, जिसके द्वारा उधार मंजूर किया गया था, की मंजूरी से किया जा सकता है।

31. चारा, उपकरण और खाद के ऋण हेतु उधारों की दशा में, कुल राशि दो अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में, या विशिष्ट मामलों में तीन अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय होनी चाहिए। उद्देश्य यह ध्यान रखने का है कि चारा, उपकरण इत्यादि वास्तव में खरीदे जाते हैं और खाद का उपयोग भूमि में किया जाता है।

32. (1) मवेशी के विक्रय हेतु उधार सामान्यतया तीन वर्षों में प्रतिदेय होने चाहियें। किसी भी दशा में इस वर्ष के उधारों की किश्तें पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रतिदेय नहीं होनी चाहिए।

(2) उधार देने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मवेशी ऐसी निश्चित अवधि, जो उधार दिये जाने के समय स्थिर की जाय, के भीतर वास्तव में खरीदी गई है और ऐसा न होने की दशा में तकावी की कुल राशि तुरन्त ही वसूली योग्य हो जायेगी।

33. वर्ग 1 के उधारों की दशा में, वह तारीख, जब से प्रतिदान प्रारम्भ होना है, इस प्रकार निश्चित की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि मूलधन या ब्याज मद्दे कोई राशि, इसके पूर्व कि उसका भुगतान, सुधार अन्य लाभों से किया जा सके, नहीं मांगी जायगी। ब्याज जैसा कि सभी मामलों में है, उस तारीख से लगाया जायेगा जबकि उधार की पहले किश्त दी, गई हो।

34. (1) वर्ग 1 के उधारों की दशा में, किश्तों की अवधि सामान्यतया दस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए किन्तु, उनकी अवधि विशेष मामलों में कमिश्नर को मंजूरी से ऐसी अवधि के लिए जो बीस वर्ष से अधिक न हो, बढ़ाई जा सकेगी।

(2) प्रत्येक अन्तर्गत पर उधार चुकाने के लिए अपेक्षित किश्त की राशि उधारग्रहीता को स्पष्ट रूप से बतलाई जानी चाहिए; और, जब तक इसके विरुद्ध कोई महत्वपूर्ण कारण प्रतीत न हो, वह अवधि, जो उधारग्रहीता के लिए सुविधाजनक हो, स्थिर की जानी चाहिए।

(3) सिवाय अंतिम किश्त से सभी किश्तें पूर्ण रूपों में निश्चित की जानी चाहिए।

35. कमी और सूखा के समय उधारों का दिया जाना—जब कई उधार थोड़े समय में स्थल पर दिये जाने हों, सवितरण-अधिकारी को आवश्यक रूप से जांच में कमी कर देनी चाहिए। उसे तत्काल

उपलब्ध व्यक्तियों और कागजों उदारणार्थ पटवारियों, लम्बरदारों, एक ही गांव के रहने वालों और पटवारी की रिपोर्ट से मांग जहां तक कि उधार के आवेदन-पत्र का ग्रहण किया जाता आवश्यक हो को वास्तविकता के विषय में सामान्यतया अपने आपको संतुष्ट कर लेना चाहिये ।

36. उधार दिये जाने के संबंध में आज्ञा:—जब संवितरण अधिकारी यह निश्चित करले कि किस प्रकार के उधार, किन किन व्यक्तियों को दिये जायेंगे, और कितने कितने किश्तों में उनका प्रतिदान अपेक्षित होगा, तो वह निम्नलिखित रीति से औपचारिक आज्ञाएं तैयार करेगा:—

- (क) वर्ग 2 के उधारों के व्यक्तिगत उधारग्रहीताओं के लिए प्रपत्र 3 में ।
- (ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उन्हें अलग अलग दिये गये वर्ग 2 के उधारों के प्रतिदान के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व लेते हों, प्रपत्र 4 में ।
- (ग) वर्ग 1 के सभी प्रकार के उधारों, चाहे वे अलग अलग या संयुक्त उत्तरदायित्व पर दिये जायें, के लिए प्रपत्र 5 में ।

37. प्रत्येक प्रपत्र पर वर्ष की पृथक क्रम संख्या अंकित की जायेगी और उस पर प्रारम्भिक उधार आवेदन-पत्र का सुसंगत निर्देश होगा ।

38. यदि उधार राशि किश्तों में दी जानी हो, तो वसूली की जाने वाली किश्त की यथार्थ राशि की प्रविष्टि, अंतिम किश्त दी जाने तक, स्थगित की जानी चाहिए ।

39. उधार मंजूर करने की प्रत्येक आज्ञा में, दूसरी बातों के साथ साथ, निम्नलिखित अर्थों होनी चाहिए:—

- (क) उधार केवल उसी प्रयोजन के लिये काम में लाया जायेगा जिसके लिये वह दिया गया हो,
- (ख) यदि उधार मंजूर करने वाले अधिकारी को संतुष्ट करते हुए यह सिद्ध कर दिया जाय कि उधार का कोई भाग उस प्रयोजन, जिसके लिये वह दिया गया था, से भिन्न प्रयोजन पर उपयोग में किया गया है अथवा वर्ग 1 के आधार की दशा में, यदि संपूर्ण सुधार कार्य या इस सुधार कार्य का कोई भाग उधार की मंजूरी आज्ञा में उल्लिखित समयावधि तक पूरा न किया जाय, तो संपूर्ण उधार और उस पर लगाये जाने योग्य व्याज (यदि कोई हो) तुरन्त ही वसूली ही योग्य होंगे,
- (ग) उधारग्रहीता इस बात से सहमत है कि उधार राशि एकट की धारा 7 में निर्दिष्ट रीति से वसूली योग्य होगी ।

40. आज्ञा पर संवितरण:—अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उधारग्रहीता द्वारा इस बात के साक्ष्य स्वरूप हस्ताक्षर किये जायेंगे कि उसने निबन्धनों और अर्थों को समझ लिया है और वह उनसे सहमत है ।

41. उधारग्रहीता के राशि का भुगतान:—जब प्रपत्र 3, 4 या 5 में उधार मंजूर करने की आज्ञा पर संवितरण-अधिकारी और उधारग्रहीता द्वारा हस्ताक्षर कर दिये जायें तदुपरान्त उधारग्रहीता को संवितरण-अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा उधार की वह राशि जो उसके लिये मंजूर की गई है, दे दी जायेगी ।

42. उधारग्रहीता दी गई प्रत्येक राशि के विषय में, आज्ञा प्रपत्र में तत्प्रयोजनार्थ रखे गये स्थान में रसीद हस्ताक्षरित करेगा, यदि वह व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो, अथवा संवितरण-अधिकारी के सम्मुख अपने अंगूठे का चिन्ह लगायेगा, यदि वह निरक्षर हो । संवितरण-अधिकारी प्रमाणित करेगा कि वह राशि उसकी उपस्थिति में दे दी गई है ।